खण्ड-227, अंक-2
शुक्रवार, 11 फाल्गुन, शक संवत् 1883
(2 मार्च, 1962 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 227 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	९७–१००
प्रश्नोत्तर	१००–१२५
श्री मलखानसिंह के निधन पर शोकोद्गार	१२५–१२८
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६१–६२ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९६१ (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	१२८
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६० (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	१२८
उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) विधेयक, १९६१ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	१२८
कार्य-स्थगन प्रस्तावों तथा नियम ५२ के अधीन दिये गये प्रस्तावों की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	१२९
उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) विधेयक, १९६० की संयुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि की सूचना ..	१२९
१९६१–६२ के तृतीय पूरक अनुदान (प्रस्तुत किये गये)	१२९
१९६२–६३ का आय-व्ययक (प्रस्तुत किया गया) ..	१२९–१३१
१९६२–६३ के लिये लेखानुदान का प्रस्ताव (प्रस्तुत किया गया) ..	१३१
शनिवार, ३ मार्च, १९६२ को विधान सभा की बैठक करने के संबंध में प्रस्ताव (स्वीकृत)	१३१–१३२
नत्थियां	१३३–१३७

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २ मार्च, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३११

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्री
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकी, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभानरायन, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
गंगाधार जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जुराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चितरसिंह निरंजन, श्री
छतरसिंह, श्री
छत्रपति अग्निहोत्र, श्री
छेदीलाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री

जगदीशनारायणसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बलायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजबहादुर, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दर्शनसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण,
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभा, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मिश्र, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्ममत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमेश्वरीदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसन्तलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबू राम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्भरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री

मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्रारिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्तदुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामआधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री

लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती बाजपेयी, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमशुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिव प्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्ति, श्री
शिवराबलीसिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सुखबलाल, श्री
सुखरानी देवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुगीता चौहान, श्रीमती
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
हरकेश बहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पीपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त कांडपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अग्रवाल, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

वित्त मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह, स्वायत्त शासन मंत्री, श्री चतुर्भुज शर्मा, वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री तथा श्रम मंत्री, श्री सुचेता कृपालानी भी उपस्थित थीं।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २ मार्च, १९६२

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

झांसी बिजली कम्पनी का लाइसेंस

***१—श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी बिजली कम्पनी को झांसी में म्युनिसिपल बोर्ड को बिजली सप्लाई करने के लाइसेन्स की मियाद कब तक है ?

विद्युत् उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—झांसी बिजली कम्पनी का लाइसेन्स सन् १९२७ में दिया गया और वह हमेशा के लिये है परन्तु पहिले २५ साल बाद और उसके पश्चात् हर १० साल पर सरकार को और अब राज्य विद्युत् परिषद् को भी यह अधिकार है कि वे चाहें तो बिजली कम्पनी को खरीद सकते हैं। यह दूसरी मियाद अभी हाल में घटा कर ५ साल कर दी गयी है।

****२—श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उक्त कम्पनी ने लाइसेन्स की मियाद बढ़ाने के लिये उसको कोई आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है? यदि हां, तो कितनी मियाद बढ़ाने के लिये?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—जी नहीं।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस घटाई हुई मियाद के अनुसार यह ५ वर्ष कब पूरे होंगे?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—वह तो ५ साल ६७ के अन्त तक होंगे।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार उक्त कम्पनी के कुप्रबन्ध या असन्तोष के कारण जनता के घोर विरोध का विचार कर के कम्पनी की मियाद न बढ़ाने का फैसला करेगी?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—यह प्रश्न नहीं उठता। कम्पनी की पहली मियाद सन् ६२ में खत्म होगी और उन्हें दस साल चलाने का आदेश भी था। राज्य विद्युत् परिषद् जब तक माताटीला की बिजली न आ जाय उसे लेने को तैयार नहीं था। इसलिये सरकार ने लाइसेन्स में संशोधन किया है और समय को घटाकर ५ साल किया है ताकि जब माताटीला की बिजली आ जाय तो उसे लिया जा सके।

माताटीला बांध से झांसी को बिजली देने की योजना

****३—श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि माताटीला (झांसी) बिजली योजना के झांसी जिले में कब तक कार्यान्वित हो जाने की संभावना है?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—माताटीला परियोजना से जुलाई, १९६४ तक विद्युत् उत्पादन आरम्भ हो जाने की संभावना है।

झांसी नगरपालिका का बिना वापसी चुंगी संबंधी प्रस्ताव

****४—श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी शहर में बिना वापसी की चुंगी जारी करने के संबंध में वहां के म्युनिसिपल बोर्ड ने कब प्रस्ताव पास किया था और उसके अनुसार उसकी स्वीकृति के लिये उसके पास आवेदन-पत्र कब भेजा था तथा अभी तक उसकी स्वीकृति क्यों नहीं हुई है?

स्वशासन राज्य मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—नगरपालिका झांसी ने बिना वापसी की चुंगी लगाने का प्रस्ताव अंतिम रूप से दिनांक २३ मई, १९६० को पास किया था और उक्त प्रस्ताव सरकार को कमिश्नर, झांसी डिवीजन के माध्यम से दिनांक १० जनवरी, १९६१ को प्राप्त हुआ था। इस प्रस्ताव में कुछ त्रुटियां होने के कारण नगरपालिका को संशोधित प्रस्ताव भेजने के लिये लिखा गया था, जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जबकि उक्त प्रस्ताव नगरपालिका द्वारा १९५६-५७ में पास हुआ था तो उसके अभी तक कार्यान्वित न होने का क्या कारण है और इस के लिये कौन जिम्मेदार है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जैसा कि अभी बताया गया कि चूंकि उसमें कुछ त्रुटियां थीं और वह अभी तक पूरी कर के नहीं भेजी हैं इसीलिये उस पर अमल नहीं हुआ है और यह तो साफ जाहिर है कि कौन इस के लिये जिम्मेदार है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसके कार्यान्वित न होने के परिणामस्वरूप वहां के व्यापारियों को होने वाली अपार क्षति का विचार करके वह इसे अविलम्ब कार्यान्वित कराने की कृपा करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह तो पता नहीं कि उनकी अपार क्षति है या नहीं, लेकिन शीघ्र ही नगरपालिका को लिखा जायगा कि वह जल्द से जल्द एक संशोधित प्रस्ताव भेजे ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३०(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

*१-२—**श्री बंशीधर शुक्ल** (जिला खीरी)—[स्थगित किये गये ।]

श्री बंशीधर शुक्ल—क्या सरकार बतलायेगी कि यह सूचना कब तक मिल सकेगी ?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—सूचना के लिये कोई तारीख मुकर्रर नहीं हो सकती । जल्दी कोशिश की जायगी ।

श्री अध्यक्ष—नई असेम्बली आयेगी उस वक्त आप जवाब दे देंगे ।

(हंसी—उत्तर नहीं दिया गया ।)

रोडवेज विभाग में कंडक्टरों की नियुक्ति

*३—**श्री सूरतचन्द रमोला** (जिला टेहरी-गढ़वाल) (अनुपस्थित)—क्या परिवहन मंत्री कृपया बतलायेंगे कि बुकिंग कन्डक्टरों की नियुक्ति जो रोडवेज में सन् १९४८ से १९५५ तक की गयी वह किस ग्रड पर व किस नियम के मातहत की गयी ?

श्री मुजफ्फर हसन—"बुकिंग कन्डक्टर" नाम का कोई पद उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज में नहीं है । १९४८ व १९५५ के बीच में क्लीनर, कन्डक्टर—कन्डक्टर जिस ग्रेड में भरती किये गये वे इस प्रकार हैं :—

	वेतन क्रम रु०
क्लीनर कंडक्टर	१५—३—५०
कन्डक्टर (रूरल)	६०—३—७०
कन्डक्टर (सिटी बस सर्विस) ..	४५—२—६५—ई०बी०—३—८०

*४—**श्री सूरतचन्द रमोला** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उनसे आफिस का काम Higher grade का लिया गया ?

श्री मुजफ्फर हसन—प्रश्न ३ के उत्तर के अनुसार प्रश्न नहीं उठता ।

*५—**श्री सूरतचन्द रमोला** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन लोगों के arrears व Permanency तथा Seniority के विषय में अब तक कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री मुजफ्फर हसन—प्रश्न नहीं उठता ।

[२ मार्च, १९६२ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१-३—**श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—[स्थगित किये गये ।]

अंतरिम जिला परिषद्, आजमगढ़ के अनट्रेंड अंग्रेजी अध्यापक

*४—**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या शिक्षा मंत्री, दिनांक ५ मई, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि उक्त उत्तर में उल्लिखित पांच अनट्रेंड अध्यापकों की योग्यता एवं वेतन-क्रम क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)—इन पांच अनट्रेंड अध्यापकों में एक अध्यापक हाई स्कूल, ३ अध्यापक इन्टरमीडियेट तथा १ अध्यापक बी० ए० पास है। इनमें से प्रत्येक को जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापक का प्रथम ग्रेड अर्थात् ५० रु० प्रति मास वेतन दिया जा रहा है।

जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों के क्लर्क

*५—**श्री रामसुन्दर पांडेय** (अनुपस्थित)—क्या शिक्षा मंत्री प्रदेश के प्रत्येक जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में काम करने वाले लिपिकों की संख्या की तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

आचार्य जुगलकिशोर—वांछित तालिका सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १३३–१३४ पर)

मधुवन-घोसी एवं दोहरीघाट बस स्टेशनों के निर्माण की आवश्यकता

*६—**श्री रामसुन्दर पांडेय** (अनुपस्थित)—क्या मन्त्री परिवहन विधान सभा के ७ अप्रैल, १९६१ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५० के उत्तर तथा पूरक प्रश्नोत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि मधुवन-घोसी एवं दोहरीघाट, जिला आजमगढ़ में बनने वाले बस स्टेशनों की अब तक की प्रगति क्या है ?

श्री मुजफ्फर हसन—तीनों स्थानों में बस स्टेशन बनाने के लिये उपयुक्त भूमि लिये जाने का प्रयास किया जा रहा है। भूमि मिल जाने पर बस स्टेशन बनाने का काम शुरू किया जावेगा।

नार्मल ट्रेनिंग स्कूल, औरैया की इमारत

*७—**श्री भजनलाल** (जिला इटावा) (अनुपस्थित)—क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह जिला इटावा में नगरपालिका औरैया के अन्तर्गत नार्मल ट्रेनिंग स्कूल की नई इमारत बनाने का विचार कर रहे हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं।

*८—**श्री भजनलाल** (अनुपस्थित)—यदि हां, तो कब तक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर—प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर विश्वविद्यालय संबंधी गबन की जांच

*९—**श्री रामस्वरूप वर्मा** (जिला कानपुर)—क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या उन्हें "Save the Gorakhpur University from grabbers and goondas" शीर्षक का कोई पत्र अप्रैल या मई, १९६१ में प्राप्त हुआ है जिसमें कई लाख रुपये के गबन सम्बन्धी शिकायतें दी गई हैं ? यदि हां, तो इस विषय में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—जी हां।

मामला अभी विचाराधीन है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—इस सम्बन्ध में जांच सरकार किससे करा रही है और उसमें कितने दिन लगने की और सम्भावना है ?

श्री रामस्वरूप यादव—यूनिवर्सिटी इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आ गई है और उस पर विचार शीघ्र ही हो जायगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि यह इंक्वायरी कमेटी जो बठी उसने कितने दिन में यह जांच की ?

श्री रामस्वरूप यादव—इंक्वायरी कमेटी के बारे में जानकारी सदन को कई बार करा दी गई और उसकी रिपोर्ट सम्भवतः दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में आई है और उस पर विचार हो रहा है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—उस रिपोर्ट के कुछ संक्षिप्त अंश, गबन के बारे में जो तथ्य मिले हैं, उन पर माननीय मन्त्री प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—रिपोर्ट को देखकर ही कहा जा सकता है कि अनियमितताएं हुई हैं या नहीं। इस समय यह कहना कि गबन हुआ है या नहीं, सम्भव नहीं है।

जिला जेल मुरादाबाद में चर्खा के अध्यापक श्री तेजवीरसिंह की मृत्यु की जांच

*१०—**श्री रामस्वरूप वर्मा**—क्या आबकारी मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या ३१ अक्तूबर, १९६०, १ नवम्बर, १९६०, को जिला जेल, मुरादाबाद में चर्खा के अध्यापक, श्री तेजवीरसिंह, जो जेल लाइन्स में रहते थे, की विष देकर हत्या की गई ? यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की ?

आबकारी राज्य मंत्री (डाक्टर सीताराम)—इस सम्बन्ध में पुलिस द्वारा इक्वायरी की गई, पर यह नहीं सिद्ध हुआ कि श्री तेजवीरसिंह की हत्या विष देने से हुई थी।

*११—**श्री रामस्वरूप वर्मा**—क्या आबकारी मन्त्री को जून, १९६१ के प्रथम सप्ताह में जिला जेल, मुरादाबाद में व्याप्त भ्रष्टाचार आदि के विषय में विधायकों के पत्र प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उस विषय में क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं, दूसरा प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामस्वरूप वर्मा—यह जांच कौन से अधिकारी ने की और क्या जांच की और किन-किन लोगों को बुला कर पूछा ?

डाक्टर सीताराम—सब-इंस्पेक्टर आफ पुलिस ने इसकी जांच की और जो अधिकारी थे उन सब लोगों से पछ कर यह जांच की।

स्थानीय निकायों के अध्यापकों की अवकाश आयु

*१२—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकारी ग्रांट प्राप्त डिगरी कालेजों तथा इण्टर कालेजों व हाई स्कूलों के प्रोफेसरों और अध्यापकों के रिटायर होने के लिये कितनी-कितनी आयु निर्धारित है ?

श्री रामस्वरूप यादव—६० वर्ष।

*१३—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या राजकीय इन्टर कालेजों व हाई स्कूलों के प्रोफेसर व अध्यापक ५५ वर्ष की आयु में रिटायर होने के पश्चात सरकारी ग्रांट प्राप्त कालेजों व हाई स्कूलों में पांच वर्ष और सर्विस करने का अधिकार रखते हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां।

*१४—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या किसी समय उसने राज्य कर्मचारियों की रिटायर होने की अवस्था ५५ से बढ़ाकर ५८ करने के अलावा स्थानीय निकायों के अध्यापकों की अवस्था ६० वर्ष से घटा कर ५८ कर दी थी ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं। स्थिति इस प्रकार है—१९४६ में स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की अवकाश आयु ५५ वर्ष से बढ़ाकर ६० वर्ष की गई थी। १९५५ में यह आयु ६० वर्ष से घटा कर पुनः ५५ वर्ष की गई। १९५७ में जब राज्य कर्मचारियों की अवकाश आयु ५५ से बढ़ाकर ५८ वर्ष की गई तो साथ ही साथ स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की अवकाश आय भी ५८ वर्ष कर दी गई जो अब तक है। यद्यपि १९६१ में

राज्य कर्मचारियों की अवकाश आयु पुनः ५८ से घटाकर ५५ वर्ष की गई, फिर भी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की अवकाश आयु अब भी ५८ वर्ष ही है।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या सरकार बतलायेगी कि जब सरकारी ग्रान्ट प्राप्त कालेजों तथा स्कूलों के अध्यापकों के रिटायर होने के लिये ६० वर्ष की आयु निर्धारित है और स्थानीय निकायों के अध्यापक पेंशन आदि सुविधाओं से वंचित हैं तो क्या सरकार उनके रिटायर होने की मियाद ६० वर्ष पुनः निर्धारित करने के प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---अभी तो आयु बढ़ाने का विचार नहीं है।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो ५८ और ६० वर्ष की आयु है यह एम० एल० एज०, एम० एल० सीज० और एम० पीज० पर भी लागू होगी कि ६० वर्ष से ऊपर की आयु वाले लोग खड़े न हों ?

श्री अध्यक्ष---पुजारी जी को भी शामिल कर के उत्तर दीजिये।

श्री रामस्वरूप यादव---एम० एल० एज० पर तो जनता विचार करती है।

बाबरपुर-तिर्वा-कन्नौज बस सर्विस की मांग

*१५---**श्री भजनलाल** (अनुपस्थित)---क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे जिला इटावा व फर्रुखाबाद के अन्तर्गत जो सड़क कस्बा बाबरपुर से अटसू-फफूंद-दिबियापुर-बेला होकर तिर्वा व कन्नौज को गई है उस पर कब से रोडवेज बसें चालू हो जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन---कन्नौज से तिर्वा तक रोडवेज की गाड़ियां चल रही हैं। तिर्वा से बाबरपुर-दिबियापुर होकर व फफूंद मार्ग पर रोडवेज की बसें चलाये जाने हेतु आवश्यक कानूनी कार्यवाही मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट के मातहत शुरू कर दी गई है, मगर अभी यह नहीं कहा जा सकता कि कब से रोडवेज की गाड़ियां चलाई जा सकेंगी।

मैनपुरी जिले में नवीन प्राइमरी स्कूल खोलने की योजना

*१६---**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में मैनपुरी जिले में कितने नये प्राइमरी स्कूल खोले जायेंगे ?

आचार्य जुगलकिशोर---४०० मिश्रित तथा ६० बालिकाओं के प्राइमरी स्कूल खोलने का प्रस्ताव है।

आर० टी० ए० आफिस, इलाहाबाद से गलत परमिट जारी होना

*१७---**श्री ऊदल** (जिला वाराणसी)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या आर० टी० ए० आफिस, इलाहाबाद ने अपनी मीटिंग १५ अप्रैल, सन १९६१ को जमालपुर से वाराणसी के लिये ४ व्यक्तियों की दरख्वास्त परमिट देने के लिये मंजूर की, लेकिन परमिट देते हुये ५८३ नं० का परमिट एक और दे दिया ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री मुजफ्फर हसन---जी हां। ऐसा गल्ती से हो गया था परन्तु जानकारी होने पर वह परमिट रद्द (Cancel) कर दिया गया।

श्री ऊदल---जिस अफसर द्वारा इस तरह की गलती की गई कि बिला मंजूरी के एक परमिट और दे दिया गया उसके खिलाफ कोई कार्यवाही सरकार ने की ?

श्री मुजफ्फर हसन---गलती उसमें यह हुई कि दो दरख्वास्तें देने वाले एक ही नाम के थे---प्रेमचन्द। इन दोनों को इश्यू हो गई थी। एक महीने के अन्दर उसका पता लग गया। वह रद्द कर दी गई और अफसर को चेतावनी दे दी गई।

*१८---**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)---[स्थगित किया गया।]

अल्मोड़ा व नैनीताल जिले के अध्यापकों को परीक्षा निरीक्षण कार्य का भत्ता मिलने में विलम्ब

*१९—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अल्मोड़ा व नैनीताल जिले से सन् १९५९ की इन्टरमीडियेट बोर्ड की परीक्षा में जो अध्यापक बाहर निरीक्षण कार्य के लिये गये उन्हें यात्रा भत्ता अभी तक क्यों नहीं दिया गया है तथा उसके भुगतान की क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री रामस्वरूप यादव—परिषद् की सन् १९५९ की परीक्षाओं के हेतु अल्मोड़ा व नैनीताल जिले से कुल ७४ अध्यापक निरीक्षण कार्य हेतु बाहर भेजे गये थे। उनमें से ६२ अध्यापकों के यात्रा भत्ता बिल माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा पारित कर दिये गये थे, किन्तु ९ अध्यापकों के बिल महालेखाकार की आपत्ति सहित वापस प्राप्त हुये हैं। अतः ५२ अध्यापकों के यात्रा भत्ते का भुगतान हो चुका है। शेष ९ बिलों पर आपत्ति निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही हो रही है।

अन्य १३ अध्यापकों के बिलों को पारित करने के लिये सम्बन्धित केन्द्र व्यवस्थापकों तथा अन्य अधिकारियों से आवश्यक पत्र-व्यवहार हो रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि बिलों को पारित करने में जो इतनी देरी होती है इसका क्या कारण है?

श्री रामस्वरूप यादव—कभी जो सज्जन भत्ता प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं वे देर में बिल देते हैं, कभी वेरीफिकेशन में देरी होती है। ऐसी ही अन्य बातें हैं जिनको पूरा करने में समय लग जाता है।

*२०—श्री नारायणदत्त तिवारी—[चौथे गुरुवार के लिये प्रश्न १६० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

प्रसाराध्यापकों की वेतन-वृद्धि

*२१—श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)—क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सन् १९५४ से सन् १९५८ तक भर्ती हुये प्रसार (एक्सटेंशन) अध्यापकों को इन्क्रीमेंट दिये जाने के बारे में सरकार की क्या नीति है?

श्री रामस्वरूप यादव—सन् १९५४ से १९५६ तक वार्षिक वेतन-वृद्धि केवल उन्हीं प्रसाराध्यापकों को दी जाती थी जिनको "ए" श्रेणी प्राप्त होती थी तथा "बी" और "सी" प्राप्त प्रसाराध्यापकों को वेतन-वृद्धि नहीं दी जाती थी। सन् १९५७ से अन्य राजकीय कर्मचारियों की भांति प्रत्येक प्रसाराध्यापक को वार्षिक वेतन-वृद्धि दी जाने लगी है।

श्री रामेश्वरप्रसाद—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ए, बी० सी, कैटेगरीज किस आधार पर बनाई जाती थीं?

श्री रामस्वरूप यादव—कार्य-कुशलता के आधार पर बनाई जाती थीं।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बी० और सी० कैटेगरी के अध्यापकों को वृद्धि न दिये जाने के क्या कारण थे?

श्री रामस्वरूप यादव—पहली अप्रैल, १९६१ को एक राजाज्ञा हो गई है कि अन्य कर्मचारियों की भांति इनको भी वेतन वृद्धि मिले। एरियर्स नहीं मिलेंगे।

श्री मोतीलाल अवस्थी—यह राजाज्ञा प्रसारित होने से पहले इन लोगों को जो वृद्धि नहीं दी जा सकी उस पर क्या सरकार पुनर्विचार करेगी?

श्री रामस्वरूप यादव---जो राजाज्ञा १ अप्रैल, १९६१ को जारी हुई है उसपर पुन-विचार करने के लिये सरकार आवश्यकता नहीं समझती ।

परिवहन विभाग में जूनियर स्टेशन इंचार्जों की नियुक्ति के लिये साक्षात्कार

*२२---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)---क्या मन्त्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि ८ अगस्त, १९६१ को जिन जूनियर स्टेशन इन्चार्जों की सूची ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के कार्यालय में टांग दी गई है उनके चयन हेतु समाचार-पत्रों में विज्ञापन कब किया गया था और कुल कितने प्रार्थना-पत्र आये थे तथा प्राप्त प्रार्थना-पत्रों में से कितनों को टेस्ट के लिये और फिर उनमें से कितनों को साक्षात्कार के लिये कब और कहां बुलाया गया था ? क्या उनका साक्षात्कार (इन्टरव्यू) किसी कमेटी के सम्मुख हुआ ? यदि हां, तो कमेटी में कितने सदस्य थे ?

श्री मुजफ्फर हसन---इसके लिये समाचार पत्रों, में विज्ञापन नहीं दिया गया था बल्कि २६ जुलाई, १९६० को डाइरेक्टर आफ इम्पलायमेंट को लिखा गया । १,६९९ प्रार्थनापत्र आये थे इनमें से ११५ निश्चित तारीख के बाद आये थे । इनको छोड़कर बाकी सब १५८४ को इन्टरव्यू के लिये परिवहन आयुक्त के दफ्तर में जनवरी, १९६१ से अप्रैल, १९६१ के बीच मुख्तलिफ तारीखों में बुलाया गया था । इन्टरव्यू सेंट्रल सेलेक्शन कमेटी ने किया था जिसमें कुल दो सदस्य थे ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि उसके फलस्वरूप कितने आदमियों की नियुक्तियां की गईं ?

श्री मुजफ्फर हसन---३८ आदमी लिये गये ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि समाचार-पत्रों में विज्ञापन क्यों नहीं दिया गया ?

श्री मुजफ्फर हसन---समाचार-पत्रों में विज्ञापन नहीं दिया जाता है । इम्पलायमेंट एक्सचेंज को लिख दिया जाता है और वहीं से नाम आ जाते हैं ।

श्री रामायणराय---जिला देवरिया की ३८ जगहों को भरने के लिये १,६०० आदमियों का लगातार ५ महीने तक साक्षात्कार होता रहा इसको विभाग कहां तक उचित समझता है ?

श्री मुजफ्फर हसन---जिनकी दरख्वास्तें थीं उनको तो बुलाना ही था ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि निश्चित तारीख के बाद भी डायरेक्टर ने प्रार्थना-पत्र क्यों भेजे ?

श्री मुजफ्फर हसन---मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता ।

सैया ग्राम का माडल स्कूल

*२३---**श्री गनेशचन्द्र काछी** (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा जिले में गवर्नमेंट नार्मल स्कूल में सम्बन्धित गवर्नमेंट माडल स्कूल तहसील खेरागढ़ में ग्राम सैया में जो खोला गया था क्या वहां का स्कूल अचानक बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों और उक्त स्कूल के बन्द कर देने से कितने अध्यापक बेरोजगार हो गये हैं ? जो अध्यापक बेरोजगार हो गये हैं, उन्हें कहां पर जगह दी जा रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर---जी नहीं ।

जौनपुर रोडवेज के अन्तर्गत बस सर्विस में अनियमितता

*२४—श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या मन्त्री परिवहन को ज्ञात है कि जौनपुर रोजवेज डिपो के अन्तर्गत पैट्रोल की बसें नं० २५१८, २५६१, २४००, २६३३, २६३५, २६३९, २७३७, २७४०, २८६८, २८६९, २८७०, २८७३, २९३८, २९४०, ३००१, ३००२, ३०११, ३०१२, ३०१३, २६७९, ११९८, २६२२, २५०५, २९४१, २९३७, १३१४, ३१४०, २७३५, २७३६, २५२०, २६०९, २५१७, २७०६, २३७८, २८७१, २६८०, २५५०, २७३२, २७९०, और ४३६० बेकार हो गयी हैं जिसके फलस्वरूप वहां से यात्रा करने वाले यात्रियों को समय पर बसें नहीं मिलती हैं?

श्री मुजफ्फर हसन—दरअसल इन ४० गाड़ियों में से २४ गाड़ियां ठीक व चालू हालत में हैं। ३ गाड़ियां सालाना मरम्मत के लिये रीजनल वर्कशाप भेजी जा चुकी हैं और ७ Surrendered गाड़ियां मरम्मत के लिये भेजी जा रही हैं। बाकी ६ गाड़ियों को नीलाम करने का प्रस्ताव है।

यह सही है कि कुछ गाड़ियां टाइम टेबुल के अनुसार नहीं चल पाई हैं।

*२५—श्री माताप्रसाद—क्या मन्त्री परिवहन को ज्ञात है कि उक्त बसों को नीलाम करने का आदेश हो गया था किन्तु अभी तक नीलाम नहीं किया गया है?

श्री मुजफ्फर हसन—चूंकि हरिद्वार कुम्भ मेले के सिलसिले में ज्यादा बसों की जरूरत पड़ेगी इसलिये इलाहाबाद रीजन में पुरानी पैट्रोल बसों का नीलाम इस समय रोक दिया गया है।

श्री माताप्रसाद—पैट्रोल की गाड़ियों की खराबी की वजह से, यात्रियों को जो असुविधा होती है उसे दूर करने के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है?

श्री मुजफ्फर हसन—हर साल गाड़ियां दूसरे किस्म की ली जाती हैं और इनको हटाया जा रहा है।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर, जौनपुर रोड से जितनी गाड़ियां चल रही हैं, उनमें से दो हिस्सा गाड़ियां ऐसी हैं जो हर स्टेशन पर रुकी रहती हैं और चार-चार घंटे तक यात्रियों को रुकना पड़ता है?

श्री मुजफ्फर हसन—मुझे इसकी इत्तला नहीं है। सूचना की जरूरत है।

रोडवेज द्वारा नयी गाड़ियों की खरीद

*२६—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या मन्त्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि ८ अप्रैल, १९५८ ई० को ९० लेलेन्ड कामर मेक और १० टाइगर कब गाड़ियां रोडवेज विभाग ने खरीदने का आर्डर किसी फर्म को दिया था? यदि हां, तो क्या मन्त्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त लेलेन्ड कामर मेक और टाइगर कब की प्रति गाड़ी क्या कीमत है?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां। लेलेन्ड कामेट गाड़ी की कीमत ३४,७८८ रु० और टाइगर कब की ४१,२६० रु० है।

*२७—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि इन गाड़ियों में प्रत्येक में कितने मुसाफिरों के बैठने का स्थान है और क्या टाइगर कब मेक गाड़ी में कोई विशेष सुविधायें भी हैं?

श्री मुजफ्फर हसन—लेलेन्ड कामेट गाड़ियों में, जो रूरल सर्विस में चलाई जाती हैं, ४७ मुसाफिरों के बैठने का स्थान होता है। टाइगर कब गाड़ियों में, जो अधिकतर सिटी बस सर्विस में चलाई जाती हैं, ४५ मुसाफिरों के बैठने के स्थान के अलावा २० मुसाफिरों के खड़े होने का भी स्थान होता है। इन गाड़ियों में कम्पन (Vibration) कम होने और ज्यादा मुसाफिरों के ले जा सकने की वजह से इस किस्म की गाड़ियां सिटी बस सर्विस के लिये ज्यादा मौजूं हैं।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि लेलेन्ड गाड़ियां टाइगर गाड़ी के मुकाबले में अधिक मजबूत होती हैं जो अधिक दामों पर खरीदी गईं, इसके लिये टैक्नीकल राय प्राप्त कर ली गई थी ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां, टैक्नीकली भी यह मजबूत गाड़ियां हैं।

डी० ए० वी० डिग्री कालेज, वाराणसी में गबन

*२८—**श्री श्यामलाल यादव** (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार वाराणसी के डी० ए० वी० डिग्री कालेज में हुए गबन से अवगत है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है और क्या सरकार सम्बन्धित स्थानीय निधि लेखा परीक्षक (Local Fund Accounts Auditors) की १९६० की रिपोर्टों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर—वांछित सूचना एकत्र करना सम्भव नहीं हो सका।

*२९—**श्री श्यामलाल यादव** (अनुपस्थित)—क्या उक्त कालेज की प्रबन्ध समिति ने गबन की विधिवत सूचना जिलाधिकारियों को दी है और दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस प्रबन्ध समिति के विरुद्ध कोई कदम उठाने की बात सोच रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर—वांछित सूचना एकत्र करना सम्भव नहीं हो सका।

अन्तरिम जिला परिषद्, बरेली के अध्यापकों का बकाया वेतन

*३०—**श्री नत्थूसिंह** (जिला बरेली) (अनुपस्थित) तथा **श्री सुन्दरलाल** (जिला बरेली) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बरेली में अपने अध्यापकों को अन्तरिम जिला परिषद् तीन माह बाद एक माह का वेतन देती है ? उसका क्या कारण है ?

आचार्य जुगलकिशोर—ऐसी बात नहीं है कि अन्तरिम जिला परिषद्, बरेली अपने अध्यापकों को तीन माह बाद एक माह का वेतन देती हो।

यह ठीक है कि नवम्बर से फरवरी तक का वेतन एकाउन्टेन्ट जनरल की अनुमति के अभाव में अभी तक नहीं दिया जा चुका है।

*३१—**श्री नत्थूसिंह** (अनुपस्थित) तथा **श्री सुन्दरलाल** (अनुपस्थित)—क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार कर ऐसी व्यवस्था करेगी कि अन्तरिम जिला परिषद् बरेली के अध्यापकों का रुका हुआ वेतन शीघ्र मिल जाय और आगे हर माह अध्यापकों को वेतन मिलता रहे ?

आचार्य जुगलकिशोर—अनुमति क्यों नहीं मिली इस पर जांच की जा रही है।

*३२—श्री नत्थूसिंह (अनुपस्थित) तथा श्री सुन्दरलाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार इस अव्यवस्था के जिम्मेदार कर्मचारियों को सजा देने की व्यवस्था करेगी?

आचार्य जुगलकिशोर—आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

लड़कियों की शिक्षा के लिये केंद्रीय योजना का कार्यान्वयन

*३३—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—विधान सभा की बैठक दिनांक २१ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४ के उत्तर के क्रम में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ११ नवम्बर, १९५९ को जो 'राजाज्ञा' जिला अन्तरिम परिषदों को देरी से प्राप्त हुई इसका उत्तरदायित्व किस कर्मचारी पर है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई तथा प्रौढ़ महिलाओं के मिलने में यदि परिषदों को कठिनाई पड़ रही है तो इसको हल करने का सरकार द्वारा क्या कोई उपाय सोचा जा रहा है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामस्वरूप यादव—राजाज्ञा निकलने में असाधारण विलम्ब नहीं हुआ। यह नई प्रयोगात्मक योजना थी जिसमें नियुक्तियां उस वर्ष केवल ६ महीने के लिये होनी थीं। नई योजनाओं के सम्बन्ध में पहली बार सरकारी आदेश निकलने में कुछ विलम्ब हो जाता है।

प्रश्नगत कठिनाइयां स्थानीय परिस्थितियों के फलस्वरूप हैं जिनका निवारण शीघ्र सम्भव नहीं है। शिक्षा की तृतीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत जो स्कूल-मदर्से की नियुक्ति की गई है उनका मानदेय (आनरेरियम) १५ रुपये के बजाय २० रुपये रखा गया है और योजना सुचारुरूप से चल रही है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या सरकार स्पष्ट करने की कृपा करेगी कि उत्तर में जो बताया गया है कि असाधारण विलम्ब नहीं हुआ, तो असाधारण विलम्ब की सरकारी परिभाषा क्या है?

श्री रामस्वरूप यादव—मेरा उत्तर तो पूर्ण है कि योजनाएं जब शुरू की जाती तो उनको कार्यान्वित करने में विलम्ब हो जाता है। आज की स्थिति में, समय के अनुसार वह योजना हमारी सफल है।

'ए' क्लास बस रूट्स का राष्ट्रीयकरण

*३४—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मन्त्री परिवहन यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में अभी तक किन-किन 'ए' क्लास रूट्स का राष्ट्रीयकरण बसों के चलाने के लिये नहीं हो सका है?

श्री मुजफ्फर हसन—आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है।

उच्च शिक्षा प्रसारार्थ योजना

*३५—श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उच्च शिक्षा हेतु जो छात्र दिन में पढ़ने नहीं जा सकते अथवा नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित नहीं हो सकते, क्या उनके लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सायंकालीन कालेज अथवा डाक द्वारा पढ़ाई की संस्थायें खोलने की योजना के सम्बन्ध में भारत सरकार और राज्य सरकार से अभी हाल में कोई विचार विनिमय या पत्र-व्यवहार हुआ है?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां।

*३६—श्री रामदुलारे मिश्र—यदि हां, तो उपर्युक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं?

श्री रामस्वरूप यादव—टिप्पणी संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १३५ पर)

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि यह योजना कब तक कार्यान्वित हो जायेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस योजना के बारे में विश्वविद्यालयों को लिखा गया है कि वे अपनी सुविधाओं के अनुसार जब सम्भव हो उसको शुरू करें। इस बात का तो प्राविधान है कि वे इस सम्बन्ध में प्रबन्ध कर सकते हैं और थर्ड प्लान के बजट के अनुसार सहायता दी जा सकती है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—जो संलग्न टिप्पणी है उसकी मोटी-मोटी बातें बताने की क्या मन्त्री जी कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—आप संक्षेप में अगर उत्तर देना चाहें तो दे सकते हैं।

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, ऐसा था कि कुछ बड़े शहरों से ऐसी मांग थी कि ऐसे व्यक्ति जो दिन में काम करते हैं उनके पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है, तो इस वजह से उन्होंने ईवनिंग कोर्स के लिये रखा है कि विश्वविद्यालय ऐसे कालेज खोल सकता है। वह शाम को पढ़ायेंगे, लेकिन अगर किसी विश्वविद्यालय में डिग्री कोर्स २ साल का है तो उसे ३ साल का उन कालेजों में रखना पड़ेगा और ३ साल का है तो ४ साल का रखना पड़ेगा।

कारेस्पांडेंस कोर्स में प्राविधान किया है कि बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां पर ऊंची शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते हैं और कारेस्पांडेंस कोर्स की योजना के अनुसार उसके लिये २ साल और ज्यादा देने पड़ें। अगर कोर्स २ साल का है तो यह ४ साल का होगा और ३ साल वाला ५ साल का होगा और साथ ही विश्वविद्यालय को लाइब्रेरी इत्यादि की सुविधा उनको देनी पड़ेगी डाक द्वारा, जिससे पढ़ने वाले उस सुविधा से फायदा उठा सकें।

'नाइट रनर्स आफ बंगाल' पुस्तक की जब्ती के लिये प्रार्थना

*३७—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उसका ध्यान John Master की उस 'Night Runners of Bengal' नामक पुस्तक की ओर आकर्षित हुआ है जिसमें कि उसने महारानी लक्ष्मी बाई के सम्बन्ध में पक्षपातपूर्ण निराधार व गलत बातें लिखी हैं तथा उनके उजज्वल चरित्र को बदनाम करने की कुचेष्टा की है ? यदि हां, तो क्या वह उक्त पुस्तक को जब्त करने और उसकी प्रतियों को जलवा देने की कृपा करेंगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—John Master's द्वारा लिखित 'Night Runners of Bengal' नामक पुस्तक Michael Joseph Ltd. 26, Bloomsburry Street, London, W. C. I. द्वारा प्रकाशित हुई है। इस पुस्तक का पहला मुद्रण जून, १९५१ में हुआ था और इसके पश्चात् इसके और भी editions छपे हैं। इस प्रश्न के पहले सरकार का ध्यान इस पुस्तक की ओर किसी ने आकर्षित नहीं किया था। यह पुस्तक एक उपन्यास के रूप में है। महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से इस पुस्तक में कुछ नहीं लिखा हुआ है। किन्तु उपन्यास में एक रानी का चरित्र आता है जिससे यह आभास निकाला जा सकता है कि महारानी झांसी के प्रति गलत धारणा उत्पन्न करने की उपन्यासकार ने चेष्टा की है। इस पुस्तक का विशेषज्ञों द्वारा निरीक्षण कराया जायेगा और उसके बाद ही यह बताना सम्भव होगा कि क्या इस पुस्तक के विरुद्ध किसी कार्यवाही की आवश्यकता है और यदि है, तो कौन सी कार्यवाही की आवश्यकता है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार उक्त पुस्तक के सम्बन्ध में हिन्दुस्तान के प्रमुख समाचार-पत्रों की कड़ी आलोचनाओं का विचार करते हुए उसको अविलम्ब जब्त करने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने उत्तर में ही निवेदन कर दिया था कि इस पुस्तक के बारे में विशेषज्ञों द्वारा जांच करायी जायेगी। साथ में जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि कुछ अखबारों में आलोचना इस पुस्तक के बारे में निकली है उसको भी मंगा लिया जायगा और उस दृष्टि से भी विचार किया जायगा।

वाराणसी नगरमहापालिका के अध्यापकों को बढ़ा महंगाई भत्ता न मिलना

*३८---**श्री रामस्वरूप वर्मा**---क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वाराणसी नगर महापालिका के अध्यापकों को दिये जाने वाले महंगाई भत्ते में, राज्यपाल के गत अभिभाषण के अवसर पर महंगाई में वृद्धि की घोषणा के बावजूद, वृद्धि न करने का क्या कारण है?

श्री रामस्वरूप यादव---शासकीय आदेश १९६०-६१ में ही निर्गत हो चुके थे। गत वर्ष के आय-व्ययक में इस मद में आवश्यक प्राविधान न किया जा सका था। आवश्यक अनुदान अब स्वीकार किया जा चुका है तथा अध्यापकों को महंगाई भत्ते की वृद्धि प्राप्त हो गई है।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या सरकार इस बात को स्पष्ट करने की कृपा करेगी कि जब १९६०-६१ में सरकारी आदेश दिया जा चुका था तो उसके बजट में तदनुरूप व्यवस्था न करने का क्या कारण है?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, इन अध्यापकों के बारे में समय-समय पर और भी आदेश जारी हुए थे जिसकी वजह से पेचीदगी थी हिसाब बनाने में। इसलिये राजाज्ञा देर से जारी हो सकी और इस कारण रुपया समय पर नहीं मिल सका। लेकिन पूरे रुपये का उसी तिथि से जिस तिथि से वह देय था प्राविधान कर दिया गया है और वह दे दिया जायगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या सरकार इन कर्मचारियों के खिलाफ जिन्होंने १९६०-६१ में राजाज्ञा निकलने के बाद उसके अनुरूप आय-व्ययक में व्यवस्था नहीं की कार्यवाही करने की सोच रही है?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने श्रीमन्, यह तो नहीं कहा कि किसी कर्मचारी ने कोई ऐसी गलती की है जिसकी वजह से राजाज्ञा देर से निकली है बल्कि हिसाब लगाने में स्वाभाविक था कुछ समय लगना, इसलिये कुछ देर हुई, लेकिन किसी अध्यापक पर उसका कुछ असर नहीं पड़ा क्योंकि पूरा रुपया उनके वेतन का उन्हें मिलेगा जिस समय से कि वह उन्हें देय था।

परिवहन विभाग के अन्तर्गत गोरखपुर क्षेत्र में कर्मचारियों का स्थायीकरण

*३९---**श्री अब्दुल रऊफ़ लारी** (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बतायेगी कि उत्तर प्रदेश राजकीय परिवहन विभाग में १ अप्रैल, १९५७ से १ अप्रैल, १९६० तक कितने पद स्थायी घोषित किये गये थे तथा उन पर कितने कर्मचारी स्थायी घोषित किये गये हैं?

श्री मुजफ्फर हसन---सूचना एकत्र की जा रही है।

*४०---**श्री अब्दुल रऊफ़ लारी** (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि परिवहन विभाग के गोरखपुर रीजन में १ अप्रैल, १९५७ से ३० जून, १९६१ तक किस-किस श्रेणी के तथा कितने कर्मचारियों का approval रीजनल सेलेक्शन कमेटी तथा सक्षम स्तर प्रबन्धक द्वारा किया गया?

श्री मुजफ्फर हसन---सूचना एकत्र की जा रही है।

जेलों में जल-व्यवस्था

*४१--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में कितने जेल ऐसे हैं जिनमें पानी कैदियों तथा बैल से खिचवाया जाता है तथा कितने जेल ऐसे हैं जिसमें पानी बिजली के द्वारा दिया जाता है ?

डाक्टर सीताराम--प्रदेश की ३३ जेलों में पानी कैदियों तथा बैल से निकलवाया जाता है तथा १५ जेलों में पानी बिजली द्वारा दिया जाता है ।

इलाहाबाद अन्तरिम जिला परिषद् द्वारा शिक्षा पर व्यय

*४२--श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)--क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या जिला बोर्ड इलाहाबाद तथा इलाहाबाद अन्तरिम जिला परिषद् ने सन् १९५० से अब तक सरकार द्वारा शिक्षा हेतु दिये गये विभिन्न अनुदानों और मदों को शिक्षा से भिन्न कार्यक्रमों में व्यय किया है ? यदि हां, तो क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बजट वर्ष १९५०-५१ से बजट वर्ष १९६०-६१ तक इस तरह कुल कितना रुपया व्यय हुआ है और सरकार इन रकमों को शिक्षा के मद में खर्च कराने की क्या व्यवस्था कर रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर--वास्तविक स्थिति विशेष लेखे क्षण के पश्चात् ज्ञात हो सकेगी ।

सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् के इलाहाबाद कार्यालय में दो संकेत-- लिपिकों को सेवा-समाप्ति का नोटिस

*४३--श्री रामायणराय--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के कार्यालय में सन् १९५५ ई० में प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा चुने एवं नियुक्त किये गये दो संकेत लिपिकों की सेवायें समाप्त करने की नोटिस इस आधार पर दी गई है कि उक्त प्रतियोगितात्मक परीक्षा फारमल नहीं थी ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां ।

*४४--श्री रामायणराय--क्या यह सत्य है कि तत्कालीन सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने इस बात की पुष्टि की है कि उक्त प्रतियोगितात्मक परीक्षा फारमल थी ?

श्री रामस्वरूप यादव--चूंकि इनमें से एक लिपिक ने मुन्सफी इलाहाबाद में विवाद प्रस्तुत किया है अतः अभी मामला न्यायालय के विचाराधीन है ।

*४५--श्री रामायणराय--क्या यह सत्य है कि उक्त दोनों संकेत लिपिकों के प्रत्यावेदन (जिन्हें सेवा समाप्ति की नोटिस दे दी गई थी) उत्तर प्रदेश सरकार को विचारार्थ अग्रसारित नहीं किये गये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामायणराय--क्या परीक्षा के समय यह बात स्पष्ट कर दी गयी थी कि यह परीक्षा फार्मल है या इनफार्मल है ?

श्री रामस्वरूप यादव--श्रीमन्, परीक्षा पास करना आवश्यक था और जब तक परीक्षा पास नहीं करते तब तक उनका कन्फर्मेशन नहीं हो सकता था । नियम के अनुकूल ही सब काम हुआ है और इस वक्त तो मामला न्यायालय के विचाराधीन है ।

श्री रामायणराय--मान्यवर, परीक्षा पास उन लोगों ने किया था, लेकिन जवाब यह मिला है .....

श्री अध्यक्ष---देखिये, जब अदालत में मामला है तो एक साथ वहां यह सब तय हो जायगा ।

श्री रामायणराय---पहले प्रश्न का उत्तर मान्यवर देखिए, उसका उत्तर 'जी हां" में दिया है कि वह परीक्षा फार्मल नहीं थी । मैं यह जानना चाहता था कि यह बात परीक्षा लेते समय स्पष्ट की गई थी या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव---इसकी सूचना पाने के लिये समय चाहिये ।

श्री रामायणराय---उनको जो नियुक्ति पत्र दिया गया था उसमें यह बात स्पष्ट की गई थी या नहीं कि उनकी स्थायी नियुक्ति की जा रही है या अस्थायी ?

श्री रामस्वरूप यादव---उनकी नियुक्ति अस्थायी थी श्रीमन् ।

अनुसूचित तथा पिछड़ी जाति के आबकारी सिपाही व ताड़ी सुपरवाइजर

*४६---श्री रामसूरतप्रसाद (जिला गोरखपुर)---क्या आबकारी मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग में कुल कितने-कितने आबकारी सिपाही व ताड़ी सुपरवाइजर काम कर रहे हैं ? उनमें कितने अनुसूचित जाति और कितने अन्य पिछड़ी जाति के हैं तथा अनुसूचित जाति का प्रतिशत क्या है ?

डाक्टर सीताराम---आबकारी सिपाहियों की संख्या ८८० तथा ताड़ी सुपरवाइजरों की संख्या २४ है, जिनमें अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के क्रमशः ७८ एवं २१८ आबकारी सिपाही और क्रमशः ३ तथा २ ताड़ी सुपरवाइजर हैं । अनुसूचित जाति के आबकारी सिपाहियों और ताड़ी सुपरवाइजरों के क्रमशः प्रतिशत ८.८६ एवं १२.५० है ।

*४७---श्री रामसूरतप्रसाद---क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय कितने आबकारी सिपाही ऐसे हैं जिनका सेवा काल सात (७) वर्ष से ऊपर का है किन्तु वह अभी तक Confirm नहीं किये गये हैं ? उनमें कितने अनुसूचित जाति के व कितने अन्य पिछड़ी जाति के हैं ?

डाक्टर सीताराम---कुल १४५ आबकारी सिपाही ऐसे हैं जिनका सेवा काल ७ वर्ष से अधिक है और जो अभी तक कनफर्म (Confirm) नहीं हुए हैं । इनमें अनुसूचित तथा पिछड़ी जाति के सिपाहियों की संख्या क्रमशः २० एवं ३६ है ।

श्री रामसूरतप्रसाद---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति के आबकारी सिपाही और सुपरवाइजरों का प्रतिशत इतना कम क्यों है और उनको १८ प्रतिशत स्थान दिलाने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

डाक्टर सीताराम---सन् १९४७ के पहले कोई रिजर्वेशन नहीं था । रिजर्वेशन हुआ है १९५३ से । उसके बाद जितने स्थान रिक्त हुए हैं उनमें अनुसूचित जाति के लोगों को १८ प्रतिशत के हिसाब से नियुक्ति हुई है ।

श्री रामसूरतप्रसाद---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सिपाही ७ वर्ष या उससे अधिक से सेवा कर रहे हैं उनको अब तक क्यों नहीं कनफर्म किया गया और उनको कब तक कनफर्म कर दिया जायगा ?

डाक्टर सीताराम---उनकी लिस्ट बनायी जा रही है और आशा की जाती है कि ज्यों-ज्यों सरकार के पास धन उपलब्ध होता जायगा उन लोगों को कनफर्म किया जायगा ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि अस्थायी रहने से भ्रष्टाचार को वे सिपाही प्रोत्साहन देते हैं, उनको शीघ्रता के साथ स्थायी करने पर विचार करेंगे ?

डाक्टर सीताराम--यह तो पहले ही बतला दिया गया है कि उनके लिये व्यवस्था की जायगी ।

श्री रामायणराय--क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि जब तक उनका कोटा पूरा नहीं हो जाता तब तक अन्य जातियों के अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर सरकार विचार न करे ?

डाक्टर सीताराम--मैं पहले ही बतला चुका हूं कि १९५३ से हरिजनों के लिये रिजर्वेशन हुआ है और उसके बाद जितनी भी जगहें खाली हुई हैं उनमें १८ प्रतिशत के हिसाब से उनकी नियुक्ति हुई है । जो पहले से चपरासी या सुपरवाइजर काम कर रहे हैं उनको हटा कर हरिजनों का प्रतिशत् पूरा करना ठीक नहीं होगा ।

राजकीय माध्यमिक विद्यालय, पीलीभीत में झगड़े की जांच

*४८--**श्री प्रतापसिंह** (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)--क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पीलीभीत में २४ जुलाई, १९६१ को कोई झगड़ा विद्यार्थियों में हुआ ? यदि हां, तो किस-किस के बीच और उसका कारण ?

आचार्य जुगलकिशोर--जी हां। श्री योगेन्द्रसहायक सक्सेना और महेन्द्रकुमार पांडे के बीच में, ऐसा कहा जाता है कि महेन्द्रकुमार पांडे अपनी बहिन को साइकिल पर कालेज पहुंचाने ले जा रहे थे । कालेज के बाहर सड़क पर योगेन्द्रसहायक सक्सेना ने उससे छेड़-छाड़ की। महेन्द्रकुमार पांडे को यह सहन न हो सका और उन्होंने योगेन्द्रसहायक को पीटा।

*४९--**श्री प्रतापसिंह** (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि इस झगड़े के विषय में एक विद्यार्थी को १५ दिन के बाद ९ अगस्त को अपने बगंले में बुलाया और ४ बजे से ८ बजे रात तक रखा ? यदि हां, तो क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर--जी नहीं ।

*५०--**श्री प्रतापसिंह** (अनुपस्थित)--क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त संबंध में क्या कार्यवाही हुई है ?

आचार्य जुगलकिशोर--तीन सदस्यों की एक कमेटी पूर्ण जांच पड़ताल कर रही है

जिला परिषदों के जूनियर हाई स्कूलों में अदीक्षित संस्कृत अध्यापकों का वेतन

*५१--**श्री गोविन्दसिंह विष्ट** (जिला अल्मोड़ा)--क्या शिक्षा मंत्री बतलायेंगे कि क्या यह सही है कि मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कलों में अदीक्षित (अन्ट्रेन्ड) संस्कृत के अध्यापकों को अदीक्षित अंग्रेजी अथवा साइंस अध्यापकों से कम वेतन दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों और इनके ग्रेड क्या-क्या हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--केवल अन्तरिम जिला परिषदों द्वारा संचालित जूनियर हाई स्कूलों में अदीक्षित संस्कृत अध्यापकों को अंग्रेजी व साइंस के अदीक्षित अध्यापकों से कम वेतन मिलता है ।

कारण यह है कि अन्तरिम जिला परिषदों से संस्कृत अध्यापक अभी तक विशेषज्ञ अध्यापकों की श्रेणी में नहीं रक्खे गये हैं । अन्तरिम जिला परिषदों में अप्रशिक्षित संस्कृत अध्यापकों को ५० रुपये प्रति मास तथा अप्रशिक्षित अंग्रेजी व साइंस अध्यापकों को ५५ रुपये प्रति मास का स्थिर वेतन दिया जाता है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि ये अल्प वेतन भोगी लोग हैं और यह देखते हुए कि महंगाई सबके लिये समान है उनका वेतन भी समान करने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव---इस समय तो ऐसा कोई विचार नहीं है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह वेतन अंतरिम जिला परिषद् में ही क्यों कम है ? अन्य जगहों में ऐसा अंतर क्या नहीं है ?

श्री रामस्वरूप यादव---पहले से उन के वेतन मुकर्रर हैं और उसी हिसाब से उनके वेतन चले आ रहे हैं ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---पुलिस वालों की योग्यता अध्यापकों से कम होते हुए भी उनको वेतन अधिक मिलता है, चपरासियों को भी उनसे ज्यादा वेतन मिलता है, तो ऐसी हालत में जो राष्ट्र का निर्माण करने वाले अध्यापक हैं उनका वेतन बढ़ाया जाय, इस पर क्या सरकार पुनर्विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---सरकार के सामने हमेशा से ही प्रस्ताव आते रहे हैं और सरकार सदैव अध्यापकों के संबंध में विचार करती रहती है । उसी के अनुसार जो यह प्रस्ताव अपनी जगह है, उसके संबंध में सरकार अगर आवश्यक समझेगी तो विचार कर लेगी ।

कुण्डा हायर सेकेण्डरी स्कूल के विद्यार्थियों से जबरन चन्दा वसूली की शिकायत

*५२---**श्री नन्दराम** (जिला प्रतापगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या प्रतापगढ़ जिले में कांग्रेस की ओर से अध्यापकों के द्वारा इंटर कालेज, हायर सेकेन्डरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल तथा प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थियों से कांग्रेस चुनाव कोष का चन्दा जबरन वसूल किये जाने के संबंध में दिनांक २९ जुलाई, १९६१ को प्रश्नकर्ता ने जिलाधीश प्रतापगढ़ को प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री रामस्वरूप यादव---दिनांक २९-७-६१ का कोई प्रार्थना-पत्र जिलाधीश, प्रतापगढ़ के कार्यालय में नहीं प्राप्त हुआ । हां, दिनांक, २१-७-६१ का एक प्रार्थना-पत्र जिसे श्री नन्दराम गुप्त, एम० एल० ए० ने एस० डी० एम०, कुण्डा के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिलाधीश को प्राप्त हुआ था । इस प्रार्थना-पत्र में केवल हायर सेकेन्डरी स्कूल कुण्डा के छात्रों से चन्दा वसूल करने की बात कही गई है । स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा जांच कराने पर ज्ञात हुआ कि उक्त विद्यालय में इस प्रकार का कोई चन्दा नहीं वसूल किया गया ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह स्थानीय शिक्षा अधिकारी कौन सज्जन थे जिनके द्वारा जांच की गयी थी ?

श्री रामस्वरूप यादव---स्थानीय जिला अधिकारी जिला विद्यालय निरीक्षक थे ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बतलाया कि पहले यह पता लगा कि अमुक विद्यालय के अधिकारियों ने चन्दा वसूल करने के बारे में आदेश दिये थे । म जानना चाहता हूं कि वह आदेश किसके द्वारा दिये गये थे ?

श्री रामस्वरूप यादव––आदेश चन्दे के कहां दिये गये थे ? यह तो शिकायत हुई है ।

श्री देवनारायण भारतीय––सरकार को वह शिक्षा अधिकारियों की शिकायत किस साधन से प्राप्त हुई थी ?

श्री रामस्वरूप यादव––एक पत्र एस० डी० एम० कुंडा को दिया गया था, उसमें लिखा था कि कुंडा के हायर सेकेण्डरी स्कूल में विद्यार्थियों से चन्दा किया गया है ।

मेहदावल बस स्टेशन का निर्माण

*५३––**श्री राजाराम शर्मा** (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)––क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस स्टेशन मेहदावल (बस्ती) का निर्माण-कार्य कब से प्रारम्भ होगा ? इसके निर्माण में देरी का क्या कारण है ?

श्री मुजफ्फर हसन––निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है, भवन बनवाने के लिये टेन्डर्स पांच बार मांगने पड़े क्योंकि पहले चार बार कोई भी टेन्डर नहीं आये । इस कारण भवन के निर्माण में देर हुई ।

गाजियाबाद मोटर स्टैण्ड

*५४––**श्री तेजासिंह** (जिला मेरठ) (अनुपस्थित)––क्या मंत्री परिवहन यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद, जिला मेरठ में रोडवेज के स्टैन्ड के लिये जो जगह म्युनिसिपल बोर्ड से ली गई है उसका रोडवेज क्या किराया देती हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन––जो जगह म्युनिसिपल बोर्ड गाजियाबाद ने मोटरें खड़ी होने के लिये अपने बाईलाज के मातहत मुकर्रर की थी उसी को रोडवेज की गाड़ियां भी इस्तेमाल करती हैं। किराये के मामले में मतभेद है और अभी कोई फैसला नहीं हो पाया है ।

*५५––**श्री तेजासिंह** (अनुपस्थित)––क्या मंत्री परिवहन को यह भी मालूम है कि गाजियाबाद मोटर स्टैन्ड पर बहुत गहरे गड्ढे हैं और वर्षा में तो मोटर गाड़ियां स्टैन्ड पर पहुंच ही नहीं पातीं ? यदि हां, तो सरकार उसके लिये क्या और कब प्रबन्ध करने जा रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन––जी हां ।

जमीन की तलाश की जा रही है । जिसके मिल जाने पर बस स्टेशन बनाया जा सकेगा।

रोडवेज स्टेशनों पर रहने वाले सहायक स्टेशन इंचार्ज से किराया लेना

*५६––**श्री मुनीन्द्रपालसिंह** (जिला पीलीभीत) (अनुपस्थित)––क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि वे कौन से रोडवेज के स्टेशन हैं जिनमें ए० टी० आई० और सहायक स्टेशन इन्चार्ज रहते हैं ? क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या उन्हें बिना किराया दिये रहने की आज्ञा दी गई है ?

श्री मुजफ्फर हसन––उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रोडवेज के केवल आगरा रीजन के हाथरस, राया और सिकन्दराराव बस स्टेशनों में सहायक स्टेशन इंचार्ज रहते हैं जिनसे किराये वसूल करने की आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । ए० टी० आई० किसी बस स्टेशन पर नहीं रहते हैं ।

बलिया जिले में जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापकों का चुनाव

*५७––**श्री भोखालाल** (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)––क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या बलिया जिले में जूनियर हाई स्कूल के प्रधान अध्यापकों का चुनाव १४ जुलाई, १९५५ को हुआ था और कोई ग्रेडड लिस्ट तैयार की गई थी ?

आचार्य जुगलकिशोर---प्रश्नगत चुनाव हुआ था, किन्तु लिस्ट नहीं तैयार की गई थी ।

*५८---**श्री भीखालाल** (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या प्रधान अध्यापकों का दूसरा चुनाव १८ नवम्बर, १९५८ को किया गया था और पुनः एक ग्रेडेड लिस्ट बनाई गई थी ?

आचार्य जुगलकिशोर---प्रश्नगत चुनाव हुआ था, किन्तु ग्रेडेड लिस्ट नहीं तैयार की गई थी ।

*५९---**श्री भीखालाल** (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उपर्युक्त दोनों लिस्टों के नामों के क्रम में किसी प्रकार का परिवर्तन किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर---प्रश्न नहीं उठता ।

नानपारा तहसील के जूनियर हाई स्कूलों को कक्षा ६ की निःशुल्क शिक्षा के लिये अनुदान न मिलने की शिकायत

*६०---**श्री बुद्धीलाल** (जिला बहराइच)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बहराइच जिले में नानपारा तहसील के प्राइवेट मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों की कक्षा ६ की शिक्षा शुल्क माफ होने के सम्बन्ध में सरकार जो अनुदान देती है क्या वह जनवरी, १९६१ से अब तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री रामस्वरूप यादव---प्रश्नगत अनुदान दे दिया गया है ।

श्री बुद्धीलाल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह अनुदान कब दिया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव---दिसम्बर, १९६१ में जिला विद्यालय निरीक्षक को यह आदेश दिया गया था कि वे उनको भुगतान कर दें ।

बरौना प्राइमरी स्कूल में कांग्रेस पार्टी का झण्डा फहराने की शिकायत

*६१---**श्री रामशरण यादव** (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)---क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या ग्राम बरौना 'परगना बिजनौर' जिला लखनऊ के निवासियों का शिकायती पत्र १८ अगस्त को सम्बन्धित उप जिला विद्यालय निरीक्षक को और १९ अगस्त को मुख्य मंत्री को मिला है जिसमें यह लिखा है कि १५ अगस्त को उक्त गांव के प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक की अध्यक्षता में स्वतंत्रता दिवस के जलसे में कांग्रेस पार्टी का झण्डा फहराया गया ? यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव---प्रश्नगत शिकायती-पत्र शासन को प्राप्त हुआ था । मामले की जांच से ज्ञात हुआ कि राष्ट्रीय झण्डा ही फहराया गया था ।

बांघापुर बस स्टेशन पर बुकिंग क्लर्क की ड्यूटी

*६२---**श्री भगवतीसिंह विशारद** (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)---क्या मंत्री परिवहन यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ रीजन के रायबरेली के बीघापुर बस स्टेशन पर इस समय कितने बुकिंग क्लर्क नियुक्त हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन---एक बुकिंग क्लर्क है ।

नोट---तारांकित प्रश्न ६१ श्री रामायणराय ने पूछा ।

*६३--श्री भगवतीसिंह विशारद (अनुपस्थित)---क्या मंत्री परिवहन यह बताने की कृपा करेंगे कि इन बुकिंग क्लर्कों के काम के घन्टे किस समय से किस समय तक हैं ? क्या जिस समय इन क्लर्कों की ड्यूटी नहीं रहती है, उस समय इस बस स्टेशन (बीघापुर) पर बसों का आना-जाना, रुकना तथा यात्रियों को लेने का क्रम जारी रहता है ?

श्री मुजफ्फर हसन---सुबह ६ बजे से ११ बजे तक और १२ बजे दोपहर से ४ बजे शाम तक । बुकिंग क्लर्क की ड्यूटी के बाहर भी बसों का आना-जाना, रुकना और मुसाफिरों को लेना जारी रहता है और इनकी बुकिंग बस कन्डक्टर करता है ।

नेवादा में उर्दू प्राइमरी पाठशाला खोलने की मांग

*६४---श्री ऊदल---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या वह नेवादा परगना पन्द्रह तहसील व जिला वाराणसी में एक उर्दू प्राइमरी पाठशाला खोलने पर विचार कर रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी नहीं । ऐसा स्कूल खोलने व बन्द करने का अधिकार जिला परिषद् को है ।

*६५---श्री ऊदल---क्या सरकार को पता है कि नेवादा ताड़ी दोनों गावों में मिलाकर सैकड़ों लड़के उर्दू पढ़ने वाले हैं ? यदि हां, तो पहले जो उर्दू का स्कूल चल रहा था उसे क्यों बन्द कर दिया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी नहीं ।

श्री ऊदल---क्या सरकार कृपया अपनी उस नई नीति के अनुसार कि जहां पर उर्दू के पढ़ने वाले लड़के ज्यादा हैं वहां पर उर्दू स्कूल खोले जायेंगे, वहां पर भी एक स्कूल खोलने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---प्राइमरी स्कूल खोलने का अधिकार तो जिला परिषद् को है ।

श्री ऊदल---क्या सरकार कृपया इस प्रश्न के ऊपर जांच कराने की कृपा करेगी कि आज से ४ वर्ष पूर्व वहां पर एक स्कूल उर्दू का चलता था जिसे अब बन्द कर दिया गया है और उत्तर में बताया गया है कि जी नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, मैं तो यही निवेदन करूंगा कि उचित यह होगा कि माननीय सदस्य पहले अपने यहां जिला परिषद् को लिखें और उनके सामने यह प्रस्ताव रखें । वह उसको अवश्य स्वीकार करेंगे और यदि वे स्वीकार न करें तो शासन को लिख सकते हैं और शासन कार्यवाही कर सकता है ।

*६६-६८---श्री उग्रसेन (अनुपस्थित)---[स्थगित किये गये ।]

अतारांकित प्रश्न

रोडवेज के ट्राफिक सेक्शन के कर्मचारियों की पेंशन, गोरखपुर क्षेत्र में अधिकारियों के कार्यालयों के क्लर्क तथा रोडवेज कर्मचारियों को ओवरटाइम एलाउन्स

१---श्री उग्रसेन (अनुपस्थित)---क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय रोडवेज के ट्राफिक सेक्शन में काम करने वाले स्थाई कर्मचारियों को पेन्शन न देने का क्या कारण है ?

श्री मुजफ्फर हसन---उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज के ट्राफिक सेक्शन में जूनियर स्टेशन इंचार्ज और उससे ऊपर के सभी स्थाई कर्मचारियों को पेन्शनेबुल करार दिया गया है । इनके अलावा दीगर, कर्मचारियों को नान, पेन्शनेबुल इसलिये करार दिया गया है क्योंकि ये कर्मचारी लेबर कानून (Labour Laws) के मातहत हैं और उसके अनुसार दूसरे सरकारी कर्मचारियों के मुकाबले में अधिक मात्रा में आर्थिक तथा अन्य सहूलियतें मिलती हैं ।

२---**श्री उग्रसेन** (अनुपस्थित)---क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय रोडवेज के गोरखपुर रीजन के समस्त अधिकारियों के कार्यालयों में कितने बुकिंग क्लर्क तथा कन्डक्टर कितने दिनों से काम कर रहे हैं ? उन्हें स्टेशनों पर न लगाने का क्या कारण है ?

श्री मुजफ्फर हसन---राजकीय रोडवेज के गोरखपुर रीजन के समस्त अधिकारियों के कार्यालयों में इस समय २८ बुकिंग क्लर्क काम कर रहे हैं । इसमें से ६ बुकिंग क्लर्क सन् १९५८ के पहले से और बाकी २२ सन् १९५८ के बाद से काम कर रहे हैं । बुकिंग क्लर्क और जूनियर क्लर्क का कैडर (Cadre) एक होने के कारण इसमें से कोई आपत्ति नहीं है । शासकीय सुविधाओं को देखकर स्टाफ की पोस्टिंग की जाती है । इन कार्यालयों में कोई भी कन्डक्टर काम नहीं कर रहा है ।

३---**श्री उग्रसेन** (अनुपस्थित)---क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश रोडवेज में काम करने वाले कर्मचारियों को नवम्बर, सन् १९६० से मई, सन् १९६१ तक कितने रुपये ओवरटाइम के दिये गये तथा उनमें गोरखपुर रीजन के कर्मचारियों को कितना ओवरटाइम का पैसा मिला ?

श्री मुजफ्फर हसन---इस अवधि में कुल ७७,४१३ रुपये ओवरटाइम एलाउन्स दिया गया जिसमें गोरखपुर रीजन के कर्मचारियों को १०,७१७ रुपये मिले ।

इटावा जिले में आदर्श जूनियर हाई स्कूल्स खोलने की जानकारी

४---**श्री भजनलाल**---क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला इटावा में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आठ आदर्श माध्यमिक जूनियर हाई स्कूल्स खोलने का आदेश जारी हो चुका था ?

आचार्य जुगलकिशोर---जी नहीं ।

५---**श्री भजनलाल**---यदि हां, तो उनमें से अब तक कुल कितने आदर्श माध्यमिक जूनियर हाई स्कूल्स खोले जा चुके हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर---प्रश्न नहीं उठता ।

रोडवेज के अन्तर्गत जूनियर व सीनियर स्टेशन इंचार्जों का वेतन

६---**श्री रामस्वरूप वर्मा**---क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि गवर्नमेंन्ट रोडवेज के जूनियर स्टेशन इंजार्च व सीनियर स्टेशन इंचार्जों के वेतन क्रमों में कितना अन्तर है और क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन---सीनियर स्टेशन इन्चार्ज तथा जनियर स्टेशन इन्चार्ज के वेतन-क्रम क्रमशः १५०-५-२०० रु० तथा १००-५-१२०-८० रो०-५-१५० रु० हैं ।

उक्त वेतन क्रमों में अन्तर की वजह यह है कि सीनियर स्टेशन इन्चार्ज बड़े स्टेशनों पर तैनात होते हैं और साथ ही जूनियर स्टशन इन्चार्ज के काम का मुआयना भी करते हैं ।

स्त्री सुधार महाविद्यालय, बरेली की अध्यापिका का आवेदन-पत्र

७--श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उन्हें अप्रैल, १९६१ के दूसरे सप्ताह में स्त्री सुधार महाविद्यालय, बरेली की कुछ अध्यापिकाओं को बकाया तनख्वाह व पुरस्थापन न देने के विषय में कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई ?

आचार्य जुगलकिशोर--जी हां, केवल एक अध्यापिका से । अभी उसका विषय विचाराधीन है ।

बी० बी० इन्टर कालेज, सासनी के अध्यापकों के शिकायती-पत्र

८--श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उन्हें अप्रैल, १९६१ के अन्तिम सप्ताह अथवा मई, १९६१ के प्रथम सप्ताह में बी० बी० इन्टर कालेज, सासनी, जिला अलीगढ़ के अध्यापकों की ओर से प्रधानाचार्य व प्रबन्धक द्वारा अनियमित रूप से निकालने आदि की शिकायतों के पत्र प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की ?

आचार्य जुगलकिशोर--जी हां, ३ मई, १९६१ को उक्त विद्यालय के तीन अध्यापकों से ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई थीं । स्थानीय शिक्षाधिकारियों द्वारा जांच कराने पर ये शिकायतें असत्य सिद्ध हुई । झूठी शिकायत करने के कारण एक अध्यापक ने लिखित रूप में क्षमा याचना की और तत्पश्चात् त्याग पत्र दे दिया । शेष दो अध्यापकों की सेवायें इन्टरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट के प्राविधानानुसार समाप्त कर दी गईं ।

नवीन नार्मल स्कूलों के छात्राध्यापकों को छात्रवृत्ति न मिलने की शिकायत

९--श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नवीन नार्मल स्कूलों के छात्राध्यापकों को मार्च, १९६१ से छात्रवृत्ति नहीं दी गयी है ?

आचार्य जुगलकिशोर--छात्रवृत्ति का भुगतान सभी संबंन्धित छात्राध्यापकों को बराबर किया जा रहा है ।

१०--श्री गनेशचन्द्र काछी--यदि हां, तो इसके कौन-कौन से कारण हैं और उपर्युक्त छात्रवृत्ति कब तक मिल जायेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर--प्रश्न ही नहीं उठता ।

फर्रुखाबाद जिले में संस्कृत पाठशालाओं को अनुदान

११--श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फर्रुखाबाद में कौन-कौन सी संस्कृत पाठशालायें कब से चल रही हैं और उनको अलग-अलग कितना-कितना वार्षिक अनुदान दिया जाता है ? क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि उपर्युक्त संस्कृत पाठशालाओं को अनुदान देने का आधार क्या है ?

आचार्य जुगलकिशोर--सूची संलग्न है । पाठशालाओं को वार्षिक अनुदान शिक्षा संहिता की धारा ३२१(iii) के अनुसार निश्चित किया जाता है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १३६ पर)

राजकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल, फर्रुखाबाद का अपग्रेड न किया जाना

१२---**श्री होरीलाल यादव**---क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय हायर सेकेन्डरी स्कूल, फर्रुखाबाद को अपग्रेड करने के संबंध में फर्रुखाबाद नगर निवासियों की ओर से कोई मांग-पत्र दिनांक २५ जुलाई, १९६१ को मिला है ? यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

आचार्य जुगलकिशोर---जी हां । चूंकि फर्रुखाबाद में ४ इन्टर कालेज हैं ही, इस विद्यालय के उच्चीकरण को अभी प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है ।

चपरतला बस रूट को जहानीखेड़ा तक बढ़ाने पर विचार

१३---**श्री शम्भुदयाल** (जिला हरदोई) तथा **श्री बुलाकीराम** (जिला हरदोई)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरदोई पिहानीरूट पर चलने वाली प्राइवेट बसें चपरतला तक बढ़ा दी गई हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन---जी हां ।

१४---**श्री शम्भुदयाल** तथा **श्री बुलाकीराम**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या चपरतला जंगल में एक निर्जन स्थान होने के कारण यात्रियों को बड़ी असुविधा होती है जिसकी शिकायतें हरदोई के विधायकों के मार्फत जनता ने सरकार और R.T.C. के पास भेजी हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन---जी हां । चपरतला के आगे जहानीखेड़ा तक तो कि एक सुरक्षित गांव है इस रूट को बढ़ा दिये जाने का प्रस्ताव State Transport Authority के सामने विचाराधीन है ।

१५---**श्री ऊदल**---[स्थगित किया गया ।]

उन्नाव जिले के जूनियर हाई स्कूलों के कुछ छात्रों को छात्रवृत्ति न मिलना

१६---**श्री भगवतीसिंह विशारद**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या शिक्षा विभाग के अनुसचिव के पास उन्नाव जिले के जूनियर हाई स्कूलों के कुछ छात्रों एवं भूतपूर्व छात्रों को जुलाई, सन् १९६१ से अब तक भेजे हुये कुछ शिकायती-पत्र Merit Scholarship (योग्यता छात्रवृत्ति) स्वीकार न होने पर भी अब तक प्रदान न किये जाने के संबंध में प्राप्त हुये हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर---वांछित सूचना एकत्रित करना सम्भव नहीं हो सका ।

१७---**श्री भगवतीसिंह विशारद**---यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

आचार्य जुगलकिशोर---वांछित सूचना एकत्रित करना सम्भव नहीं हो सका ।

१८-१९---**श्री उग्रसेन**---[स्थगित किये गये ।]

२०---**श्री तारखण्डेराय** (जिला आजमगढ़)---[६वें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ५८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

गोरखपुर रोडवेज क्षेत्र में गलत पेमेंट के मामले

२१—**श्री उग्रसेन**—क्या परिवहन मन्त्री राजकीय रोडवेज गोरखपुर रीजन में मार्च, सन् १९६१ में जांच की गई आडिट रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन—मांगी गई रिपोर्ट काफी बड़ी है, यदि माननीय सदस्य चाहें तो उसे मेरे कार्यालय में आकर देख लें।

२२—**श्री उग्रसेन**—क्या यह सही है कि उक्त आडिट पार्टी ने जांच करते समय कुछ गबन तथा गलत पेमेंट सम्बन्धी मामले पकड़े हैं ? यदि हां, तो वे मामले गोरखपुर रीजन के किन-किन डिपो के हैं और उनपर अब तक क्या कार्यवाही सरकार ने की है ?

श्री मुजफ्फर हसन—उक्त आडिट पार्टी में गबन का कोई केस नहीं है पर गोरखपुर तथा देवरिया व बस्ती डिपो की कुछ "पेमेंट" की गलतियों के बारे में जिक्र है। इन गलतियों के समाधान के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है और उचित आदेश सम्बन्धित अधिकारियों को दे दिये गये हैं ।

मुरादाबाद जेल का निरीक्षण

२३—**श्री रामस्वरूप वर्मा**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि समाज कल्याण विभाग के मन्त्री महोदय के सितम्बर, १९६० के अन्तिम सप्ताह में किये गये मुरादाबाद जेल के निरीक्षण के समय उनके साथ कौन-कौन थे ?

डाक्टर सीताराम—समाज कल्याण मन्त्री के साथ उनके आशुलिपिक, विधान सभा के एक सदस्य और कुछ बच्चे थे।

२४—**श्री रामस्वरूप वर्मा**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मुरादाबाद जेल के पास कितनी जमीन बन्दियों की सब्जी के लिये तथा जानवरों के चारे के लिये हैं तथा क्या इस जमीन से बन्दियों को साल भर तक सब्जी उपलब्ध हो जाती है ?

डाक्टर सीताराम—लगभग सात एकड़।

जी नहीं, इस जमीन से बन्दियों को साल भर तक सब्जी उपलब्ध नहीं हो पाती ।

२५—**श्री रामस्वरूप वर्मा**—क्या यह सत्य है कि मुरादाबाद जेल में ३५० कैदियों के स्थान में ७५० या ८०० तक कैदी रखे जाते हैं ?

डाक्टर सीताराम—इस जेल में ४१२ बन्दियों के लिये स्थान है किन्तु औसतन ७१४ बन्दी व हवालाती उसमें रहते हैं।

२६—**श्री उग्रसेन**—[स्थगित किया गया ।]

परिवहन विभाग के अन्तर्गत बरेली तथा कुमायूं क्षेत्र में क्लीनर कण्डक्टर, हिल एलाउन्स वर्क्स कौन्सिल तथा गोरखपुर क्षेत्र में शेड्यूल्ड एवं स्पेयर बसें

२७—**श्री उग्रसेन**—क्या मन्त्री परिवहन कृपया बतायेंगे कि परिवहन विभाग के बरेली तथा कुमायूं रीजन में कितने क्लीनर कन्डक्टर हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—बरेली रीजन में १११ तथा कुमायूं रीजन में ५८ क्लीनर कण्डक्टर हैं।

२८—**श्री उग्रसेन**—क्या मन्त्री परिवहन कृपया बतायेंगे कि बरेली तथा कुमायूं रीजन में हाई स्कूल पास कण्डक्टरों को क्लीनर कण्डक्टरों के वेतन-क्रम में रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हुसन---क्लीनर कन्डक्टरों में भी कुछ लोग हाई स्कूल पास हैं लेकिन इनको पद के अनुसार क्लीनर कन्डक्टर का ही वेतन-क्रम मिलता है।

२९---श्री उग्रसेन---क्या मन्त्री परिवहन कृपया बतायेंगे कि क्या परिवहन विभाग के कुमाऊं रीजन व बरेली रीजन के कर्मचारी जो पहाड़ पर काम करते हैं, उन्हे हिल एलाउन्स नहीं दिया जाता है ? यदि नहीं दिया जाता है, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हुसन---बरेली रीजन का कोई भी कर्मचारी पहाड़ पर नियुक्त नहीं है, अतः उन्हें हिल एलाउन्स देने का प्रश्न नहीं उठता। कुमायूं रीजन के उन कर्मचारियों को जिन्हें २५ अगस्त, १९५१ के पहले हिल एलाउन्स मिलता था, अब भी मिल रहा है। उक्त तारीख के बाद यह एलाउन्स न सिर्फ परिवहन विभाग के बल्कि सभी सरकारी कर्मचारियों के लिये बन्द कर दिया गया है।

३०---श्री उग्रसेन---क्या मन्त्री परिवहन कृपया बतायेंगे कि क्या परिवहन विभाग में वर्क्स कौंसिल बनाने के लिये श्रम मन्त्री का कोई सुझाव उन्हें प्राप्त हुआ है। यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री मुजफ्फर हुसन---श्रम विभाग से सुझाव अवश्य आया है कि रोडवेज की वर्कशाप में "वर्क्स कौन्सिल" बनाई जावे।

३१---श्री उग्रसेन---क्या मन्त्री परिवहन कृपया बतायेंगे कि परिवहन विभाग के कर्मचारियों के लिये वर्क्स कौंसिल परिवहन विभाग में कब तक बन जायेगी ?

श्री मुजफ्फर हुसन---रोडवेज सेंट्रल वर्कशाप, कानपुर में वर्क्स कौंसिल बनाने के लिये आदेश जारी कर दिये गये हैं। अन्य जगह इनके बनाने के सवाल पर अभी विचार हो रहा है।

३२---श्री उग्रसेन---क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय रोडवेज गोरखपुर रीजन के बलरामपुर, गोंडा, अकबरपुर, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ बस्ती बर्डघाट, गोरखपुर तथा देवरिया डिपो में कितनी-कितनी बसें शेड्यूल्ड सर्विसेज तथा स्पेयर हेतु हैं तथा उन सभी बसों में जैक है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हुसन---इन डिपो में शेड्यूल्ड तथा स्पेयर बसों की संख्या संलग्न सूची में दी हुई है। बलिया डिपो की १२ शेड्यूल्ड और १० स्पेयर बसों तथा आजमगढ़ डिपो की २० स्पेयर बसों में इस समय जैक नहीं है। इन बसों के जैक या तो खराब हो गये या गुम हो गये हैं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १३७ पर)

३३-३४---श्री उग्रसेन---[हटा दिये गये।]

गोरखपुर रोडवेज क्षेत्र के ए० टी० आई

३५---श्री उग्रसेन---क्या मंत्री परिवहन यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय रोडवेज गोरखपुर क्षेत्र में इस समय कितने ए० टी० आई० काम कर रहे हैं तथा उनमें सीधी नियुक्ति द्वारा काम करने वालों की संख्या कितनी है ?

श्री मुजफ्फर हुसन---राजकीय रोडवेज गोरखपुर क्षेत्र में इस समय कुल ४४ ए० टी० आई० काम कर रहे हैं और उनमें सीधी नियुक्ति वालों की संख्या २० है।

गोरखपुर बस स्टेशन की कैन्टीन

३६--श्री उग्रसेन--क्या मंत्री परिवहन यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय रोडवेज गोरखपुर क्षेत्र के गोरखपुर बस स्टेशन पर बनी हुई कैन्टीन कितने साल से बन्द है और क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन--कैन्टीन बराबर चल रही है।

श्री मलखानसिंह के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--अध्यक्ष महोदय, जब हम आखिर में २ महीने पूर्व यहां से उठे थे और आज दो महीने बाद यहां मिल रहे हैं हमने इस सदन के एक बहुत प्रतिष्ठित और सरकारी उपमंत्री, प्रदेश के सार्वजनिक जीवन में अगुआ, अलीगढ़ जिले के राजनीतिक जीवन के प्राण, ठाकुर मलखानसिंह जी को अपने बीच से खो दिया।

इस सदन के सदस्य कदाचित इस बात से परिचित हैं कि किन हालात में उनका देहान्त हुआ। ठाकुर मलखानसिंह जी हमारे प्रदेश के सार्वजनिक कार्यकर्ताओं और सार्वजनिक जीवन के नेताओं में से थे जिन्होंने अपनी युवावस्था से राजनीतिक जीवन में हिस्सा लेना प्रारम्भ किया था और जो अपनी युवावस्था से उन उमंगों और उत्साहों से भरे हुये थे जिन उमंगों और उत्साहों ने बहुत से नवयुवकों को राजनीतिक जीवन में खींचा और जिन्होंने राजनीतिक जीवन में और सार्वजनिक जीवन में हिस्सा लेकर इस देश के सार्वजनिक जीवन को उठाने का भरसक प्रयत्न किया। हम यदि उत्तर प्रदेश के १९२० से १९६२ तक का राजनीतिक इतिहास का अवलोकन करें तो हमें उन हस्तियों की सदा याद आती है जिन हस्तियों ने इस प्रदेश के राजनीतिक जीवन-स्तर को ऊंचा किया और देश के नवयुवकों में एक नयी उमंग देश सेवा के प्रति पैदा की। ठाकुर मलखानसिंह हमारे प्रदेश के उन्हीं व्यक्तियों में से थे जिन्होंने जैसा कि मैंने कहा १९२० से जीवन पर्यन्त १९६२ तक देश की सेवा में अपना समय लगाया और बराबर त्याग का परिचय दिया। हमारे देश का कोई भी राजनीतिक आन्दोलन, १९२० से १९६२ तक ऐसा नहीं रहा कि जिस राजनीतिक आन्दोलन में उन्होंने अगुवा का कार्य न किया हो और अगुवा का कार्य करते रहते ही उन्होंने उन गुणों का परिचय न दिया हो जो गुण सार्वजनिक जीवन को ऊंचा उठाते हैं और उसके बीच में उन परम्पराओं को स्थापित करते हैं जिनसे देश का राजनीतिक जीवन उभरता और उठता है।

मैंने अभी कहा कि ठाकुर मलखानसिंह, जहां तक अलीगढ़ जिले का संबंध है उसके सार्वजनिक जीवन के प्राण थे। कोई भी हमारे प्रदेश और देश में ऐसा राजनीतिक आन्दोलन नहीं हुआ जिसमें उन्होंने भाग न लिया हो और भाग लेकर उन यातनाओं को सहने की क्षमता न प्रदर्शित की हो जो कि राजनीतिक आन्दोलनों से संबंध रखती थीं। १९२० में जब गांधी जी ने नान-कोआपरेशन आन्दोलन देश में चलाया तो वे अलीगढ़ जिले में अगुवा थे और जब गांधी जी ने नो-रेन्ट-कैम्पेन का आन्दोलन इस देश में चलाया तो वे उस समय उस जिले के अग्रणी कार्यकर्ताओं और नेताओं में से थे जिन्होंने उसमें भाग लिया। १९३०, १९३१, १९३२, १९३३, १९४० और १९४२ के राजनीतिक आन्दोलनों में उनको जेल जाना पड़ा था और जेलखाने की यातनायें सहनी पड़ीं।

जहां तक किसानों का संबंध है, जहां तक उनकी समस्याओं को सुलझाने का प्रश्न था उसमें वह अलीगढ़ जिले में किसानों के नेता रहे और उनकी समस्याओं को सुलझाने में उन शक्तियों का मुकाबला किया जो कि उन किसानों को उठने नहीं देती थीं और उनको वह राहत नहीं देती थीं जिनको किसान पाने के अधिकारी थे। माननीय मलखानसिंह जी अलावा राजनीतिक जीवन के ऐसे व्यक्ति थे जिनका संबंध अलीगढ़ जिले में बहुत-सी सार्वजनिक संस्थाओं से था और शिक्षा संस्थाओं से था। अलीगढ़ विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी के वह काफी समय तक सदस्य

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

रहे। आगरा कालेज की कमेटी के भी वह बहुत काफी समय तक सदस्य रहे। जो भी शिक्षा संस्थायें और सार्वजनिक संस्थायें अलीगढ़ जिले में थीं उनके वह अगुवा रहे और उनके निर्माण में उनका बराबर सहयोग रहा।

जहां तक इस प्रदेश की सरकार का सवाल है और इस सदन के सदस्य के नाते उनका संबंध रहा उसकी जानकारी सदन के सदस्यों को भलीभांति है। वह सदा उन गुणों का परिचय देते थे जो दूसरों के ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं और दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। यद्यपि वह ७३ वर्ष की उम्र के थे लेकिन इस उम्र में भी हमने उनमें नौजवानी की उमंग और उत्साह देखा। उनकी कार्य-क्षमता और दूसरों को अपना साथी बनाने के गुण ऐसे थे जो भुनाये नहीं जा सकते। साथ ही जो तेजी वह काम करने की रखते थे और जिस बात पर वह विश्वास रखते थे उसे वह करके रहते थे और एक बार जो निर्णय उन्होंने ले लिया उसे बदलते नहीं थे और उसके ऊपर चलने की क्षमता सदा अपने अन्दर रखते थे। हमारे एक ऐसे साथी हमारे बीच से एक ऐसे समय में उठ गये जबकि हमें ऐसे बहुत से साथियों की आज भी आवश्यकता है जबकि हम देश के निर्माण-कार्य में जुटे हुये हैं। हम सबको उनके न रहने का बड़ा दुःख है।

अध्यक्ष महोदय मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस सदन के इस दुःख को उनके संतप्त परिवार तक भेजने की कृपा करें और उस संतप्त परिवार के प्रति इस सदन की समवेदना भेजने की कृपा करें। इस प्रकार हम उन पुराने साथी के प्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पित करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करें और उनके घरवालों को वह शक्ति दे जिससे वे इस दुःख को सहन कर सकें।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)—अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय मलखानसिंह जी इस प्रदेश के उन व्यक्तियों में से थे जिन्होंने सन् १९२० में राष्ट्रपिता की आवाज पर वकालत छोड़ कर देश-सेवा में अपने को लगाया और उस समय से लगातार कितने ही ऊंचे नीचे मौके आये, खतरे आये, परन्तु वह लगातार देश-सेवा और समाज-सेवा में लगे रहे। माननीय सेवा सदन ने उनके संबंध में जो विचार व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं।

मलखानसिंह जी की कुछ विशेषतायें थीं। ऐसा निडर आदमी मिलना मुश्किल था। कभी किसी खतरे से उन्होंने मुंह नहीं मोड़ा। कितना ही बड़ा मोर्चा रहा हो, कितनी ही संकट-कालीन परिस्थिति रही हो, घबराहट का नाम वह नहीं जानते थे। जहां ये सब बातें थीं वहां उनमें स्वाभिमान भी बहुत ऊंचे दर्जे का था और यदि कभी उनको यह सन्देह हो जाता कि उनके स्वाभिमान पर किसी ने ठेस लगाई तो वह बात उनके बर्दाश्त के बाहर थी। माननीय को संभवतः याद होगा कि जब लखनऊ जिला जेल के सुपरिंटेन्डेन्ट ने उनकी शान के खिलाफ कुछ बात कही तो गांधी जी के भक्त होते हुये और जेल में रहते हुये मलखानसिंह जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने सारी सजा बेड़ी से जकड़े हुये तन्हाई में काटी मगर उस बात का उन्हें तनिक भी खयाल नहीं था कि उन्होंने कोई गलती की है। सारी जिन्दगी उनकी त्याग और तपस्या की बीती है। मुझे भी उनके बहुत निकट में आने के और साथ काम करने के अवसर प्राप्त हुये। वैसे उनकी अवस्था काफी थी किन्तु पिछली बार जब उनके दर्शन इस आदरणीय सदन में हुये तो यह स्वप्न में भी गुमान नहीं था कि वह इतनी जल्दी हमें छोड़कर चले जावेंगे। उनके न रहने से हमारे प्रदेश का एक बड़ा समाज-सेवी उठ गया।

मैं, माननीय से प्रार्थना करूंगा कि उनके दुखी परिवार को हमारी ओर से और इस तरफ के बैठने, वालों की ओर से समवेदना पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय मलखानसिंह जी के आकस्मिक निधन से हमारे प्रदेश का एक बहुत बड़ा जन-सेवी उठ गया है। जब वह कांग्रेस से अलग होकर सोशलिस्ट पार्टी में आये थे तो मुझे बहुत निकट से उनके साथ कार्य

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करने का अवसर मिला था । वह कई वर्षों तक हमारे साथ रहे । मैंने यह पाया कि ऐसी लगन और निष्ठा के साथ काम करने वाला आदमी मिलना मुश्किल है । वह जिस काम को लेते थे उसमें चाहे कितनी ही मुश्किल मालूम पड़े, चाहे दूसरे लोग उनसे कहें भी कि यह मुश्किल है मगर वह जुटकर उसे पूरा करने में लग जाते थे और अपने साहस और मनोबल से उसे पूरा करके मानते थे ।

जहां तक उनके राजनीतिक जीवन का सवाल है वह बहुत विशद और लगन का रहा । सचमुच उनके न रहने से एक बहुत बड़ा जन सेवी कम हो गया और उसे प्रदेश महसूस कर रहा है ।

जो विचार नेता सदन और नेता विरोधी दल ने प्रकट किये हैं उनसे मैं अपने को आबद्ध करता हूं और अपनी तथा अपने दल की ओर से आपसे निवेदन करूंगा कि उनके शोक-संतप्त परिवार के प्रति हमारी समवेदना भेजने की कृपा करें ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मलखानसिंह जी के निधन से हमारे प्रान्त को बहुत भारी धक्का लगा है । वे सज्जनता की साकार मूर्ति थे, ऐसा यदि कहें तो अत्युक्ति न होगी । वे धैर्यशील और दृढ़ प्रतिज्ञ भी थे । उनके विषय में नेता सदन, त्रिलोकीसिंह जी तथा अन्यान्य नेताओं ने जो विचार प्रकट किये हैं उनसे जनसंघ को और अपने को संबद्ध करता हूं और श्रीमन् से निवेदन करता हूं कि हमारी समवेदना उनके दुखी और संतप्त परिवार को पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—अध्यक्ष महोदय, मलखानसिंह जी के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं । वे केवल उत्तर प्रदेश के ही नेता नहीं थे बल्कि सारे हिन्दुस्तान के नेता थे । जिस प्रकार से लाला लाजपत राय को लोग पंजाब केसरी कहते थे उसी प्रकार से ठाकुर मलखानसिंह जी को हम लोग अलीगढ़ केसरी कहते थे । मेरा और उनका बहुत साथ रहा । वे सन् १९२० से ही गान्धी जी के साथ हो गये थे । जिस प्रकार का उनका नाम था उसी प्रकार के उनमें गुण भी थे । इसके साथ ही साथ वे महात्मा गांधी की सत्य और अहिंसा पर पूरे तरह से चलने वाले थे । उनकी मृत्यु से उत्तर प्रदेश को ही नहीं बल्कि सारे भारतवर्ष को धक्का लगा है । ऐसे वीर दुनियां में बहुत कम होते हैं । मैं अपने दल की तरफ से और अपनी तरफ से आपके द्वारा उनके परिवार को समवेदना प्रकट करता हूं ।

***श्री ऊदल** (जिला वाराणसी)—अध्यक्ष महोदय, माननीय मलखानसिंह जी के बारे में जो विचार माननीय नेता सदन ने और अन्य पार्टियों के माननीय नेताओं ने प्रकट किये हैं, उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी ओर से और मेरी पार्टी की ओर से उनके दुखी परिवार को समवेदना पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष—स्वर्गीय श्री मलखानसिंह जी के आकस्मिक निधन पर माननीय नेता सदन और अन्य दलों के नेताओं ने इस सदन की ओर से जो अपने विचार प्रकट किये हैं और दुःख प्रकट किया है, उनके साथ मैं भी अपने को सम्बद्ध करता हूं । मेरा और उनका ३०–४० साल से परिचय रहा है । मैं अधिक कुछ कहना नहीं चहता हूं क्योंकि उनके संबंध में माननीय नेता सदन ने सभी बातें कह दी हैं । उनमें एक बड़ा भारी गुण यह था कि उनके हृदय में जो बात होती थी वही वे कहते भी थे । वे निर्भीक थे लेकिन निर्भीकता से बात करने के बाद भी लोगों को मिलाने का प्रयत्न करते थे और झगड़े को निपटाने में प्रयत्नशील रहते थे । अलीगढ़ के बलवे के संबंध में जिन लोगों ने कार्य किया है वे जानते हैं कि उसमें उन्होंने कितना सराहनीय कार्य किया था ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अध्यक्ष]

केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत उच्च कार्य किया था। कई शिक्षा संस्थाओं में उन्होंने मुख्याध्यापक और प्रिंसिपल के पदों पर कार्य किया। इसके अलावा सामाजिक क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों में भी उन्होंने कार्य किया और सब लोगों को उन्होंने प्रत्येक क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिये प्रोत्साहन दिया।

यद्यपि उनकी उम्र बहुत थी लेकिन हम समझते थे कि अभी वे बहुत वर्ष जीवित रहेंगे। उनकी शक्ति और जोश को देखते हुये प्रतीत होता था कि वे नौजवानों की तरह कार्य करते थे। तो ऐसे एक उच्चकोटि के नेता के निधन से न केवल हमारे प्रदेश का ही नुकसान हुआ है, अपने देश का भी काफी बड़ा नुकसान हुआ है और उसकी पूर्ति करना कठिन होगा। जो भावनायें यहां पर व्यक्त की गयीं और जो समवेदनायें प्रकट की गयीं हैं उन्हें मैं उनके संतप्त परिवार तक पहुंचा दूंगा। अब हम ईश्वर से दो मिनट तक प्रार्थना करें कि उनकी आत्मा को शान्ति प्राप्त हो।

(सब सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६१-६२ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९६१

श्री अध्यक्ष—अब सचिव, विधान सभा कुछ सूचनायें देंगे।

सचिव, विधान सभा—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६१-६२ का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९६१ पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १६ नवम्बर, १९६१ की बैठक में पारित किया था एवं जिसे श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और जो विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के १८ नवम्बर, १९६१ को प्राप्त हो गया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति २३ नवम्बर, १९६१ को प्राप्त हो गयी है और वह १९६१ का उत्तर प्रदेश का ३२ वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६०

सचिव विधान सभा—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक १९६०, पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १४ सितम्बर, १९६० की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १ मई, १९६१ की बैठक में कुछ संशोधन सहित पारित किया था और विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों को विधान सभा ने अपने १९ मई, १९६१ की बैठक में स्वीकार किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति २९ नवम्बर, १९६१ को प्राप्त हो गई है और वह १९६१ का उत्तर प्रदेश का ३३वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) विधेयक, १९६१

सचिव, विधान सभा—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना विधि (संशोधन) विधेयक, १९६१, पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १५ नवम्बर, १९६१ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २१ नवम्बर, १९६१ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति २६ दिसम्बर, १९६१ को प्राप्त हो गयी है और वह १९६१ का उत्तर प्रदेश का ३४ वां अधिनियम बन गया।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों तथा नियम ५२ के अधीन दिये गये प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष---कुछ मेरे पास कामरोको प्रस्ताव आये थे और नियम ५२ के अनुसार भी वादविवाद के लिये कुछ विषय भेजे गये थे कि ध्यान आकृष्ट किया जाय माननीय मंत्रियों का, लेकिन चूंकि अनुपूरक अनुदान भी अब इस वक्त विचारार्थ सामने आने वाले हैं और उसके बाद लेखानुदान भी, तो काफी मौका माननीय सदस्यों को मिलेगा । उनके विवाद में वे उन प्रश्नों को उठा सकते हैं और ध्यान भी आकृष्ट कर सकते हैं और कुछ चर्चा भी कर सकते हैं । इसलिये मैंने किसी विषय में न तो कामरोको प्रस्ताव को स्वीकार किया है और न नियम ५२ के अनुसार ध्यान आकृष्ट करनेवाले विषय को स्वीकार किया है ।

उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) विधेयक, १९६० की संयुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि की सूचना

श्री अध्यक्ष---अब सचिव, विधान सभा एक सूचना और देंगे ।

सचिव, विधान सभा---अध्यक्ष महोदय, मैं सूचित करता हूं कि सचिव, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २५ नवम्बर, १९६१ की बैठक में निश्चय किया है कि उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) विधेयक, १९६० से सम्बद्ध विधान मण्डल के दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि ३१ दिसम्बर, १९६१ तक बढ़ा दी जाय । अतएव उपर्युक्त प्रतिवेदन की पुरः स्थापित करने की अन्तिम तिथि अब ३१ दिसम्बर, १९६१ है ।

१९६१-६२ के तृतीय पूरक अनुदान

वित्त मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)---अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के तृतीय पूरक अनुदान प्रस्तुत करता हूं।

१९६२-६३ का आय-व्ययक

वित्त मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)---अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष १९६२-६३ का आय-व्ययक प्रस्तुत करता हूं ।

महोदय,

मैं १९६२-६३ का बजट पेश करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

सामान्यतः वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा किसी वित्तीय वर्ष का बजट उसके पूर्वगामी वर्ष में विधान सभा के समक्ष पेश करना होता है । किन्तु इस वर्ष की विशेष परिस्थिति में यह स्पष्ट है कि पूरा बजट, जिसमें सरकार की अगले वित्तीय वर्ष की नीतियों तथा कार्यक्रमों का उल्लेख हो, अभी प्रस्तुत नहीं किया जा सकता । अभी कुछ ही दिन पहले सामान्य निर्वाचन समाप्त हुए हैं और नये विधान मण्डल की शीघ्र ही बैठक होगी और अब एक नयी सरकार भी बनेगी । इसलिये वर्तमान सरकार के लिये यह उचित नहीं होगा कि वह कोई नयी नीतियां निर्धारित करे या इस समय सदन को किसी नये व्यय के लिये वचनबद्ध करे। लेकिन चूंकि नयी सरकार को अपनी नीतियां निर्धारित करने और अपने बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप देने तथा विधान मंडल द्वारा उनके स्वीकृत होने में निश्चय ही कुछ समय लग जायगा, इसलिये यह जरूरी है कि वर्तमान सेवाओं तथा योजनाओं को जिनमें सदन द्वारा आयोजना की अनुमोदित परियोजनायें

[श्री हरगोविन्द सिंह]

(Projects) भी सम्मिलित है, उस समय तक चालू रखने के लिये जब तक कि नये विधान मण्डल द्वारा बजट पारित न कर दिया जाय, प्रशासन के लिये आवश्यक धन की व्यवस्था कर दी जाय। इसलिये यह निर्णय किया गया है कि अगले वित्तीय वर्ष के पहले तीन महीनों के सम्भावित व्यय को पूरा करने के लिये इस सदन से एक "लेखानुदान" स्वीकृत करने का अनुरोध किया जाय।

संविधान के अनुच्छेद २०६ के अनुसार यह आवश्यक है कि जब विधान मण्डल से कोई "लेखानुदान" स्वीकृत करने का अनुरोध किया जाय तो उस वर्ष का वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसके सम्बन्ध में "लेखानदान" स्वीकृत करने की मांग की जाय, उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाय। तदनुसार यह आवश्यक है कि अगले पूरे वित्तीय वर्ष के तखमीनों को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाय। लेकिन यह मानना उचित होगा कि यह विवरण केवल अस्थायी है। यह भी उचित है कि व्यय की नयी मदों को इस अस्थायी बजट में सम्मिलित न किया जाय, क्योंकि यह जरूरी है कि नयी सरकार को स्वयं अपनी नीतियों के अनुसार नये व्यय को सदन के सामने रखने का अवसर मिले। इसलिये इस अस्थायी बजट में, जो मैं प्रस्तुत करूंगा, कोई नयी मदें शामिल नहीं की गयी हैं। मैं यह भी आवश्यक नहीं समझता कि मैं इस तखमीनों का कोई ब्योरा दूं या उनके बारे में कोई विचार प्रकट करूं। इस समय ब्योरेवार तखमीनों और अनुदानों का खंड भी तैयार नहीं किया गया है किन्तु वार्षिक वित्तीय विवरण को एक संक्षिप्त बजट के रूप में तैयार किया गया है जिसमें केवल ऐसी ही जरूरी सूचनायें दी गयी हैं, जो हमारे काम के लिये आवश्यक हैं।

मैं राज्य की वित्तीय स्थिति की, जैसी कि वह गत वर्ष के वास्तविक आंकड़ों तथा चालू वर्ष के संशोधित आंकड़ों से प्रकट होती है, विस्तृत समीक्षा नहीं करना चाहता, जैसा कि प्रचलित रीति के अनुसार किया जाता है। सदन की मेज पर जो श्वेत-पत्र रखा गया है उसमें पूरे विवरण दे दिये गये हैं और मेरे लिये चालू तथा आगामी वित्तीय वर्षों से सम्बन्धित राजस्व तथा व्यय की समग्र स्थिति (over-all position) का मोटे तौर पर उल्लेख कर देना ही पर्याप्त होगा।

१९६१-६२ के मूल बजट में राजस्व प्राप्तियों का तखमीना १४५.६३ करोड़ रुपया और व्यय का तखमीना १५४.१३ करोड़ रुपया लगाया गया था। इस प्रकार ८.५ करोड़ रुपये का राजस्व का घाटा होता था जिसकी पूर्ति के लिये सरकार ने ५.२१ करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि प्राप्त करने का निश्चय किया और ३.२९ करोड़ रुपये के राजस्व के घाटे को पूरा करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। वर्ष के दौरान में सरकार ने अतिरिक्त धन प्राप्त करने के लिये कदम उठाये और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि वह अपने प्रयत्नों में सफल हुई है। राजस्व प्राप्तियों का संशोधित तखमीना अब १५२.१८ करोड़ रुपया लगाया गया है। किन्तु राजस्व व्यय का तखमीना भी १५४.१३ करोड़ रुपये से बढ़ कर १५६.६७ करोड़ रुपया हो गया है, और इस प्रकार अब भी ४.४९ करोड़ रुपये का घाटा होता है। यह प्रस्ताव है कि राजस्व सुरक्षित निधि से अपेक्षित धनराशि संक्रमित करके इस घाटे की पूर्ति की जाय।

जहां तक आगामी वित्तीय वर्ष का सम्बन्ध है, नई मदों पर विचार करने के बाद जो वित्तीय स्थिति सामने आये उसके सम्बन्ध में इस समय कुछ भी कहना समय के पूर्व होगा। फिर भी वर्तमान अनुमानों से १०.९ करोड़ रुपये के राजस्व की कमी प्रकट होती है। इस सम्बन्ध में मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि इन तखमीनों में, केन्द्रीय करों से मिलने वाले राज्य के भाग की धनराशियां जैसी कि वे भारत सरकार द्वारा सूचित की गई हैं, सम्मिलित की गई हैं। चूंकि वित्त आयोग की रिपोर्ट अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है और न वह इस राज्य को उपलब्ध है इसलिए मैं यह मानता हूं कि जो आंकड़े दिये गये हैं वे केवल अस्थायी है। वित्त आयोग से हमारा जो विचार-विमर्श हुआ है और उसने इसके बाद जो आम घोषणाएं की है उनसे यह काफी स्पष्ट हुआ था कि केन्द्रीय करों के विभाजन का जो भी आधार हो, राज्यों को होने वाली आय पर किसी भी दशा में प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और यह कि उनकी आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा

जायगा। इसलिए मुझ आशा है कि इस राज्य को केन्द्रीय करों से मिलने वाले अपने भाग के कारण कुछ अधिक आय होगी।

महोदय, १९६२-६३ के बजट के सम्बन्ध में मुझे आज केवल इतना ही कहना है। अपना भाषण समाप्त करने से पहले, श्रीमन्, मैं आप को और आप के द्वारा सदन के समस्त सदस्यों को इस बात के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि मेरे कार्यकाल में, जिसमें मुझे इस राज्य की सेवा करने का सौभाग्य रहा, आपने पूरा सहयोग प्रदान किया और मेरे विचारों को पूर्णरूप से समझने की महत्ता दिखाई।

१९६२-६३ के लिए लेखानुदान का प्रस्ताव

वित्त मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)---मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के प्रथम तीन महीनों में इसके साथ नत्थी अनुसूची में दिये हुए प्रत्येक विभाग का या सेवा या खर्च की मद के सम्बन्ध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिये राज्यपाल (गवर्नर) महोदय को लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो ६९,००,७६,००० रुपये से अधिक न हो।

श्री अध्यक्ष---अब इन अनुदानों पर सामान्य विवाद और उनकी मांगों पर मतदान कल होगा और यह विनियोग विधेयक भी उसके बाद कल ही होगा। इसके बाद लेखानुदान के बारे में मतदान जो होगा इस प्रस्ताव पर, वह ५ तारीख को होगा।

शनिवार, ३ मार्च, १९६२ को विधान सभा की बैठक करने के संबंध में प्रस्ताव

विद्युत उप-मंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)---अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १६ के उपनियम (२) के अनुसार जब तक कि यह सदन अन्यथा निश्चित न करे इस सदन का उपवेशन शनिवार को नहीं होता। परन्तु वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के तृतीय पूरक अनुदानों एवं वित्तीय वर्ष १९६२-६३ के 'लेखानुदान' और उनसे सम्बन्धित विनियोग विधेयकों को दिनांक ६ मार्च, १९६२ तक पारित होने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन यह निश्चय करता है कि इस सदन का उपवेशन अपने नियमित समय पर शनिवार, दिनांक ३ मार्च, १९६२ को भी हो।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---मैं इसका विरोध करता हूं क्योंकि एक तो माननीय मुख्य मन्त्री ने इस सम्बन्ध में कोई प्रकाश नहीं डाला कि ६ मार्च, १९६२ तक ही यह लेखानुदान वगैरह क्यों पास होने चाहिये क्योंकि इसकी आवश्यकता तो पहली अप्रैल के बाद से पड़ेगी। तो ६ मार्च के बाद का समय भी हो सकता था। दूसरे यह कि इसकी तात्कालिक आवश्यकता कैसे आ गयी कि शनिवार को उपवेशन हो क्योंकि उसके लिये प्रक्रिया नियमावली में जो नियम बना हुआ है उसको हमें निलम्बित करना पड़ता है। तो जबतक कोई तात्कालिक महत्वपूर्ण आवश्यकता न हो तबतक नियम निलम्बित करने के लिये मैं समझता हूं सदन तैयार नहीं होगा और आपके द्वारा सम्मानित सदस्यों से मैं यह निवेदन करूंगा कि कम से कम बिना तात्कालिक आवश्यकता के और कोई विशेष कठिनाई उपस्थित हुए बिना वह सदन के द्वारा बनाये गये नियमों को निलम्बित करने की आज्ञा न दें।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---अध्यक्ष महोदय, जो आपत्ति माननीय राम-स्वरूप जी ने अभी उठायी है वह उन्हें इस अवसर पर नहीं उठानी चाहिये थी और वह इसलिये नहीं उठानी चाहिये थी कि यह सदन ६ तारीख के बाद डिजाल्व हो जायगा और ऐसा निर्देशन

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

इलेक्शन कमीशन का सिर्फ इस प्रदेश के सदन के लिये ही नहीं है बल्कि सारे भारतवर्ष के जितने सदन और विधान सभायें हैं उनके लिये है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह सदन ६ तारीख को डिजाल्व हो जायगा, इस सदन से यह प्रार्थना की गयी है कि जो कार्य करना है वह कल बैठ कर कर लिया जाय क्योंकि और समय हमारे पास इन चीजों पर विचार करने के लिये नहीं है। इसीलिये यह प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और मैं समझता हूं कि इस सूचना के बाद माननीय सदस्य अपनी आपत्ति को वापस ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १६ के उपनियम (२) के अनुसार जब तक कि यह सदन अन्यथा निश्चित न करे इस सदन का उपवेशन शनिवार को नहीं होता। परन्तु वित्तीय वर्ष १९६१--६२ के तृतीय पूरक अनुदानों एवं वित्तीय वर्ष १९६२--६३ के 'लेखानुदान' और उनसे सम्बन्धित विनियोग विधेयकों को दिनांक ६ मार्च, १९६२ तक पारित होने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 'यह सदन यह निश्चय करता है कि इस सदन का उपवेशन अपने नियमित समय पर शनिवार दिनांक ३ मार्च, १९६२ को भी हो'।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन १२ बजकर २४ मिनट पर शनिवार, ३ मार्च, १९६२ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२ मार्च, १९६२।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०३ पर)

उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले के जिला विद्यालय निरीक्षकों के कार्यालयों में काम करने वाले लिपिकों की संख्या की तालिका

नाम	लिपिकों की संख्या	विशेष विवरण
१	२	३
१—देहरादून	११	
२—सहारनपुर	११	
३—मुजफ्फरनगर	११	
४—मेरठ	१४	
५—बलन्दशहर	११	
६—अलीगढ़	१३	
७—मथुरा	११	
८—आगरा	१४	
९—मैनपुरी	११	
१०—एटा	११	
११—बरेली	१४	
१२—बिजनौर	११	
१३—बदायूं	११	
१४—मुरादाबाद	१३	
१५—रामपुर	११	
१६—शाहजहांपुर	११	
१७—पीलीभीत	११	
१८—नैनीताल	११	
१९—अल्मोड़ा	१०	
२०—पौड़ीगढ़वाल	१०	
२१—टेहरीगढ़वाल	१०	
२२—फर्रूखाबाद	११	
२३—इटावा	११	
२४—कानपुर	१३	
२५—फतेहपुर	११	
२६—इलाहाबाद	१४	
२७—झांसी	१३	
२८—जालौन	११	
२९—हमीरपुर	११	
३०—बांदा	११	

नाम	रिपिकों की संख्या	विशेष विवरण
१	२	३
३१—वाराणसी	१५	
३२—मिर्जापुर	१२	
३३—जौनपुर	१२	
३४—गाजीपुर	१२	
३५—बलिया	१२	
३६—गोरखपुर	१५	
३७—देवरिया	१२	
३८—बस्ती	११	
३९—आजमगढ़	१२	
४०—गोंडा	११	
४१—बहराइच	११	
४२—फैजाबाद	१३	
४३—लखनऊ	१४	
४४—उन्नाव	११	
४५—रायबरेली	१२	
४६—सीतापुर	११	
४७—हरदोई	११	
४८—लखीमपुर खीरी	११	
४९—सुल्तानपुर	११	
५०—प्रतापगढ़	११	
५१—बाराबंकी	११	
५२—उत्तरकाशी	१०	
५३—पिठौरागढ़	११	
५४—चमोली	१२	

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १११ पर)

तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भारत सरकार ने उच्च शिक्षा के प्रसार हेतु Evening College तथा Correspondence course की योजना बनाई है जो इस प्रकार होगी—

EVENING COLLEGE—

विशेषत: उन लोगों के लिये होंगे जो कहीं कार्य करते है और दिन को नहीं पढ़ सकते। ऐसे कालेज बड़े शहरों में खोले जायं। प्रत्येक कालेज में ४०० तक विद्यार्थी भर्ती किये जायं। जहां साधारण डिग्री कोर्स ३ वर्ष का है वहां ४ वर्ष का कोर्स रखा जाय और जहां २ वर्ष का डिग्री कोर्स है वहां ३ वर्ष लगेंगे।

CORRESPONDENCE COURSE—

इस योजना से उन लोगों को लाभ पहुंचेगा जो विश्वविद्यालय से दूर रहते हों और किसी प्रकार रेगुलर कोर्स नहीं अटेन्ड कर सकते। देश के कुछ विश्वविद्यालय इस प्रकार की योजना चालावें। इस योजना को चलाने के लिये विश्वविद्यालय अपने यहां एक कारसपांडेंस कोर्स डिपार्टमेन्ट भी खोलें। परन्तु इस बात का ध्यान रखते हुये कि कारसपांडेंस कोर्स और रेगुलर कोर्स का स्तर भिन्न-भिन्न न हो, वही टीचर कारसपांडेंस कोर्स के भी इन्चार्ज हों जो उसे पढ़ाते हों। ऐसे विद्यार्थियों की सुविधा के लिये विश्वविद्यालयों को अपने पुस्तकालय का एक भाग सुरक्षित कर देना चाहिये। जिससे उन विद्यार्थियों को पुस्तकें उपलब्ध की जा सकें। उनकी कठिनाइयों के निवारण के लिये विश्वविद्यालय बड़ी छुट्टियों में स्वयं भी पढ़ाई करें और कुछ कालेजों के अध्यापकों की भी इस कार्य के लिये नियुक्ति करें जो अपने क्षेत्र के विद्यार्थियों को बुला कर शिक्षा दे सकें। प्रत्येक विश्वविद्यालय २,००० विद्यार्थी तक भर्ती करे। जहां ३ वर्ष का डिग्री कोर्स है वहां कारसपांडेंस कोर्स में ५ वर्ष लगेंगे और जहां डिग्री कोर्स २ वर्ष का वहां ४ वर्ष लगेंगे।

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२१ पर)

क्र० सं०	संस्था का नाम	स्थापन काल	वर्ष १९६०-६१ में दिया गया अनुदान
१	सन्यास संस्कृत पाठशाला शाहजी की बिसरात, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद	अज्ञात	६१२
२	जी० बी० एस० संस्कृत पाठशाला, तिर्वा ..	१९२३	५०४
३	पंचपुरगा संस्कृत पाठशाला आयुर्वेदिक कालेज	१८९६	९८४
४	मुकुन्द कान्यकुब्ज संस्कृत पाठशाला, कनोज	१९०९	९९६
५	ब्राह्मण संस्कृत पाठशाला, कायमगंज ..	अज्ञात	६४८
६	एस० जे० सनातन धर्म आदर्श महाविद्यालय	१९११	१५९६
७	च्यवनाश्रम संस्कृत पाठशाला, चपासर भोगीराम	१९४७	५५२
८	धार्मिक संस्कृत महाविद्यालय, नुन्हाईकटरा	अज्ञात	१०४४
९	लोभव संस्कृत विद्यालय, ऊंचा गुरुसरायगंज ..	१९३६	७८०
१०	बंगलेश्वर संस्कृत पाठशाला, कुमसुमखोर ..	अज्ञात	असाहाय्यिक
११	गंगादीन द्विवेदी संस्कृत पाठशाला, छिबरामऊ	..	असाहाय्यिक

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ३२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२४ पर)

डिपो का नाम	शेड्यूल्ड बसों की संख्या	स्पेयर बसों की संख्या
१—बलरामपुर	२४	४
२—गोंडा	२७	६
३—अकबरपुर	१६	३
४—गाजीपुर	२१	६
५—बलिया	३३	१०
६—आजमगढ़	७३	२०
७—बस्ती	३३	५
८—वर्डघाट	२१	५
९—गोरखपुर	४३	८
१०—देवरिया	४२	४

हिन्दी प्रचार